हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

5 अप्रैल, 2022

खण्ड–2, अंक 1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 5 अप्रैल, 2022

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणाएं

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची
(ii) अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष का अभिनन्दन

सचिव द्वारा घोषणा

कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट पेश करना

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

सरकारी संकल्प

बैठक का स्थगन

सरकारी संकल्प पुनरारम्भ

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 5 अप्रैल, 2022

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

शोक–प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष जी, पिछले सत्र के बाद और इस सत्र के प्रारम्भ होने से पहले जो महान विभूतियां इस संसार को छोड़कर चली गई हैं, उन महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं सदन में निम्नानुसार शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं :–

हरियाणा के शहीद

यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

उन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :–

1. सूबेदार सूबे सिंह, गांव आकोदा, जिला महेन्द्रगढ़।
2. हवलदार नरेश सिवाच, गांव सैमाण, जिला रोहतक।
3. हवलदार लीला सिंह, गांव खटोटी खुर्द, जिला महेन्द्रगढ़।
4. नायक महेश कुमार, गांव बसई, जिला महेन्द्रगढ़।
5. नायक तेजराम, गांव कोयलपुर, जिला झज्जर।
6. नायक अश्वनी कुमार, गांव बारना, जिला कुरूक्षेत्र।
7. सिपाही बलराज, गांव सिवाना, जिला झज्जर।
8. सिपाही मनदीप सिंह, गांव बोस्ती, जिला फतेहाबाद।
9. सिपाही अनिल कुमार, गांव नांगल माला, जिला महेन्द्रगढ़।

यह सदन इन वीरों की शहादत पर शत्–शत् नमन करता है और शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन

विधायक श्रीमती रेणू बाला के पिता, श्री ज्योति राम के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रक करता है।

पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल जी के भाई श्री रघबीर सिंह जी के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय नेता प्रतिपक्ष शोक प्रस्ताव पर अपने विचार रखेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी सांपला किलोई) : अध्यक्ष महोदय, जो सदन के नेता ने शोक प्रस्ताव रखे हैं मैं उन पर अपने विचार रखना चाहता हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार से हैं :–

1. सूबेदार सूबे सिंह, गांव आकोदा, जिला महेन्द्रगढ़।
2. हवलदार नरेश सिवाच, गांव सैमाण, जिला रोहतक।
3. हवलदार लीला सिंह, गांव खटोटी खुर्द, जिला महेन्द्रगढ़।
4. नायक महेश कुमार, गांव बसई, जिला महेन्द्रगढ़।
5. नायक तेजराम, गांव कोयलपुर, जिला झज्जर।
6. नायक अश्वनी कुमार, गांव बारना, जिला कुरूक्षेत्र।
7. सिपाही बलराज, गांव सिवाना, जिला झज्जर।
8. सिपाही मनदीप सिंह, गांव बोस्ती, जिला फतेहाबाद।
9. सिपाही अनिल कुमार, गांव नांगल माला, जिला महेन्द्रगढ़।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इन वीरों की शहादत पर शत्–शत् नमन करता हूं और शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से विधायक श्रीमती रेणू बाला के पिता श्री ज्योति राम जी के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं और शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल जी के भाई श्री रघबीर सिंह जी के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं और शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदना प्रकट की है मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और अपनी तरफ से शोक व्यक्त करता हूं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान् आत्माओं की शांति के लिए खड़े हो कर 2 मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े हो कर 2 मिनट का मौन धारण किया गया।)

———————

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणाएं

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं अप्रैल सत्र, 2022 के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति के नामों की सूची में सभापति के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूंः–

1. श्री असीम गोयल, विधायक
2. श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक
3. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक
4. श्री रणधीर सिंह गोलन, विधायक

(ii) अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती नैना सिंह चौटाला, विधायक ने मुझे ई–मेल के माध्यम से सूचित किया है कि व्यक्तिगत कारणों की वजह से वे आज दिनांक 5 अप्रैल, 2022 को विधान सभा सत्र की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती हैं।

——————

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, श्री कुलदीप शर्मा, पूर्व हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष, सदन की कार्यवाही देखने के लिए विशिष्ठ दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है।

सचिव द्वारा घोषणा

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सचिव घोषणा करेंगे।

श्री सचिवः अध्यक्ष महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, सत्र 2022 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन के पटल पर रखता हूं।

मार्च–सत्र, 2022

1. हरियाणा विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 2022
2. हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2022
3. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2022

————————

कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मैं सदन के वर्तमान सत्र के दौरान किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के बारे कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय की गई समय सारणी सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं:–

समिति की बैठक आज दिनांक 5 अप्रैल, 2022 को 9.30 बजे प्रातः माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

समिति ने सिफारिश की, कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक मंगलवार, 5 अप्रैल, 2022 को 11.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा आज के दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी ।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि आज 5 अप्रैल , 2022 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा :–

मंगलवार, 5 अप्रैल, 2022	1.	शोक प्रस्ताव
(11.00 बजे प्रातः)	2.	कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना।
	3.	निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।
	4.	अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।

5. सरकारी संकल्प

6. कोई अन्य कार्य।

———————

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

(प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

———————

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबंधों से मुक्त किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबंधों से मुक्त किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्यों की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबंधों से मुक्त किया जाए ।

(प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

(प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

सरकारी संकल्प

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

"कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा–3 के प्रावधानों के तहत अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम में पंजाब और हरियाणा राज्यों, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ के केन्द्रीय शासित प्रदेशों द्वारा पंजाब के पुनर्गठन को प्रभावी बनाने के लिए कई उपाय किए गए थे।

सतलुज–यमुना लिंक नहर (एस.वाई.एल.) के निर्माण द्वारा रावी और ब्यास नदियों के पानी में हिस्सा पाने का हरियाणा का अधिकार ऐतिहासिक, कानूनी, न्यायिक और संवैधानिक रूप से बहुत समय से स्थापित है। इस प्रतिष्ठित सदन में एस.वाई.एल. नहर को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह करते हुए सर्वसम्मति से कम से कम सात बार प्रस्ताव पारित किए हैं। कई अनुबंधों, समझौतों, ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों और देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में, सभी ने पानी पर हरियाणा के दावे को बरकरार रखा है और एस.वाई.एल. नहर को पूरा करने का निर्देश दिया है। इन निर्देशों और समझौतों की अवज्ञा करते हुए इनके विरोध में, हरियाणा राज्य के सही दावों को अस्वीकार करने के लिए पंजाब द्वारा कानून बनाए गए।

इंदिरा गांधी समझौता, राजीव लोंगोवाल समझौता और वेंकटरमैया आयोग ने पंजाब राज्य के क्षेत्र में पड़ने वाले हिंदी भाषी क्षेत्रों पर हरियाणा के दावे को स्वीकार किया है। हिंदी भाषी गांवों को पंजाब से हरियाणा को देने का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। यह सदन 1 अप्रैल, 2022 को पंजाब की विधान सभा में पारित प्रस्ताव पर गहन चिंता प्रकट करता है, जिसमें सिफारिश की गई है कि चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित करने के मामले को केन्द्र सरकार के साथ उठाया जाए। यह हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा में राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ पर अपना अधिकार लगातार बरकरार रखा है इसके अलावा इस सदन ने इससे पहले भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य के एक अलग उच्च न्यायालय के लिए प्रस्ताव पारित किया है।

केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में भाखड़ा–ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की भावना के खिलाफ है, जो नदी योजनाओं को, उत्तराधिकारी पंजाब व हरियाणा राज्यों की साझा संपत्ति मानता है।

सदन इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि पिछले कुछ वर्षों से केन्द्र शासित प्रदेश (यू.टी.) चंडीगढ़ के प्रशासन में हरियाणा सरकार से प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की हिस्सेदारी कम हो रही है।

इन परिस्थितियों में, यह सदन केन्द्र सरकार से आग्रह करता है कि वह ऐसा कोई कदम न उठाए, जिससे मौजूदा संतुलन बिगड़ जाए और जब

तक पंजाब के पुनर्गठन से उत्पन्न सभी मुद्दों का समाधान न हो जाए, तब तक सद्भाव बना रहे। यह सदन केन्द्र सरकार से यह आग्रह भी करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सतलुज–यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए उचित उपाय करे। यह सदन केन्द्र सरकार से आग्रह करता है कि वह पंजाब सरकार पर दबाव बनाये कि वह अपना मामला वापिस ले और हरियाणा राज्य को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी ले जाने व उसके समान वितरण के लिए हांसी–बुटाना नहर की अनुमति दे। सदन केन्द्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह भी करता है कि केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन में सेवा करने के लिए हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए निर्धारित अनुपात को उसी अनुपात में जारी रखा जाये, जब पंजाब के पुनर्गठन की परिकल्पना की गई थी।"

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

"कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा–3 के प्रावधानों के तहत अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम में पंजाब और हरियाणा राज्यों, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ के केन्द्रीय शासित प्रदेशों द्वारा पंजाब के पुनर्गठन को प्रभावी बनाने के लिए कई उपाय किए गए थे।

सतलुज–यमुना लिंक नहर (एस.वाई.एल.) के निर्माण द्वारा रावी और ब्यास नदियों के पानी में हिस्सा पाने का हरियाणा का अधिकार ऐतिहासिक, कानूनी, न्यायिक और संवैधानिक रूप से बहुत समय से स्थापित है। इस प्रतिष्ठित सदन में एस.वाई.एल. नहर को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह करते हुए सर्वसम्मति से कम से कम सात बार प्रस्ताव पारित किए हैं। कई अनुबंधों, समझौतों, ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों और देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में, सभी ने पानी पर हरियाणा के दावे को बरकरार रखा है और एस.वाई.एल. नहर को पूरा करने का निर्देश दिया है। इन निर्देशों और समझौतों की अवज्ञा करते हुए इनके विरोध में, हरियाणा राज्य के सही दावों को अस्वीकार करने के लिए पंजाब द्वारा कानून बनाए गए।

इंदिरा गांधी समझौता, राजीव लोंगोवाल समझौता और वेंकटरमैया आयोग ने पंजाब राज्य के क्षेत्र में पड़ने वाले हिंदी भाषी क्षेत्रों पर हरियाणा के दावे को स्वीकार किया है। हिंदी भाषी गांवों को पंजाब से हरियाणा को देने का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। यह सदन 1 अप्रैल, 2022 को पंजाब

की विधान सभा में पारित प्रस्ताव पर गहन चिंता प्रकट करता है, जिसमें सिफारिश की गई है कि चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित करने के मामले को केन्द्र सरकार के साथ उठाया जाए। यह हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा में राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ पर अपना अधिकार लगातार बरकरार रखा है इसके अलावा इस सदन ने इससे पहले भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य के एक अलग उच्च न्यायालय के लिए प्रस्ताव पारित किया है।

केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में भाखड़ा–ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की भावना के खिलाफ है, जो नदी योजनाओं को, उत्तराधिकारी पंजाब व हरियाणा राज्यों की साझा संपत्ति मानता है।

सदन इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि पिछले कुछ वर्षों से केन्द्र शासित प्रदेश (यू.टी.) चंडीगढ़ के प्रशासन में हरियाणा सरकार से प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की हिस्सेदारी कम हो रही है।

इन परिस्थितियों में, यह सदन केन्द्र सरकार से आग्रह करता है कि वह ऐसा कोई कदम न उठाए, जिससे मौजूदा संतुलन बिगड़ जाए और जब तक पंजाब के पुनर्गठन से उत्पन्न सभी मुद्दों का समाधान न हो जाए, तब तक सद्भाव बना रहे। यह सदन केन्द्र सरकार से यह आग्रह भी करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सतलुज–यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए उचित उपाय करे। यह सदन केन्द्र सरकार से आग्रह भी करता है कि वह पंजाब सरकार पर दबाव बनाये कि वह अपना मामला वापिस ले और हरियाणा राज्य को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी ले जाने और उसके समान वितरण के लिए हांसी–बुटाना नहर की अनुमति दे। सदन केन्द्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह करता है कि केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन में सेवा करने के लिए हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए निर्धारित अनुपात को उसी अनुपात में जारी रखा जाये, जब पंजाब के पुनर्गठन की परिकल्पना की गई थी।"

.....

बैठक का स्थगन

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हमें सरकारी संकल्प की नई कॉपी नहीं मिली है।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, सरकारी संकल्प की अंग्रेजी भाषा में तो कॉपी शायद छप गई है और वह आप सभी माननीय सदस्यों को मिल भी गई होगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जब तक माननीय सदस्यों को सरकारी संकल्प की नई कॉपी नहीं मिलेगी तब तक सरकारी संकल्प पर चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक इस सरकारी प्रस्ताव की हिन्दी और अंग्रेजी कॉपी सभी माननीय सदस्यों में वितरित नहीं हो जाती तब तक के लिये आप हाउस स्थगित कर दे।

श्री अध्यक्षः ठीक है। माननीय सदस्यगण, अब सदन 15 मिनट के लिये स्थगित किया जाता है।

*11:23 बजे

(The Sabha then *adjourned at 11.23 A.M. and reassembled at 11.38 A.M.)

सरकारी संकल्प पुनरारम्भ

श्री अध्यक्षः अब सरकारी संकल्प पर माननीय सदस्य श्री ईश्वर सिंह अपने विचार रखेंगे।

श्री ईश्वर सिंह (गुहला, एस.सी.): स्पीकर सर, आपने मुझे सरकारी संकल्प पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सरकारी संकल्प रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हरियाणा प्रदेश 1 नवम्बर, 1966 को अस्तित्व में आया, यानी इसका जन्म हुआ। स्पीकर सर, तब से लेकर आज तक अनेकों बार बहुत सी बड़ी घटनाएं देखने और सुनने को मिली हैं। जब हम छोटे थे तो सुना करते थे कि श्री फेरूमान ने 60 दिनों तक हड़ताल रखी थी और 65 वें दिन उनकी डैथ हो गयी थी, परन्तु हरियाणा प्रदेश और पंजाब प्रदेश का चण्डीगढ पर हक बरकरार रहा। हरियाणा राज्य पहले पंजाब राज्य का हिस्सा था। यानी यह राज्य पंजाब राज्य में से ही अलग हुआ था। हमारे हरियाणा प्रदेश का केवल चण्डीगढ पर ही हिस्सा नहीं है बल्कि पंजाब प्रदेश से हरियाणा प्रदेश के हिस्से में जो चीजें आती हैं, उन सबके

ऊपर हक है। हरियाणा प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद सन् 1977 में हम चौधरी देवीलाल जी, डॉ0 मंगल सेन जी, चौधरी रिजक राम जी, श्री बलवंत रॉय तायल जी और चौधरी चांद राम जी जैसे बड़े– 2 नेताओं से सुनते थे कि हरियाणा प्रदेश बनाने में बड़ी कुर्बानियां दी गयी थी और बहुत ज्यादा खोया था। इस प्रकार हरियाणा प्रदेश ऐसे ही इस रूप में एकदम से नहीं मिला। इस हरियाणा प्रदेश को पाने में बहुत कठिनाइयां आयी थी और हमारे बड़े– बड़े नेताओं ने कुर्बानियां दी थी। आज पंजाब सरकार द्वारा यह कहना कि चण्डीगढ पर उनका हक है, न्यायसंगत नहीं है। आज हम चण्डीगढ की इस बिल्डिंग में विधान सभा बनाकर बैठे हुए हैं और जब इसका बंटवारा हुआ तो उस समय पंजाब प्रदेश और हरियाणा प्रदेश का 60:40 प्रतिशत का हिस्सा तय हुआ था। इस प्रकार शुरूआत से ही चण्डीगढ पर दोनों प्रदेशों का 60:40 का हिस्सा बंटा हुआ है। पंजाब सरकार ने पता नहीं किस ढंग और किस रूप में अलग से पूरे चण्डीगढ पर अपने हक की डिमांड रखी है। चूंकि यह 60:40 प्रतिशत का हिस्सा शुरू से ही तय किया हुआ था। इस प्रकार दोनों राज्यों को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे उपाय किये गये हैं। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा प्रदेश पंजाब प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आए हैं। ये सभी प्रदेश इंडिपैंडेंट हो गये और अपनी– अपनी तरक्की कर रहे हैं। चण्डीगढ की तो वैसे भी संघीय सरकार है और इस पर फैसला लेने का अधिकार भी उन्हीं के पास है। इस यूनियन टैरीटरी का बंटवारा पहले से ही किया हुआ है जिसमें हरियाणा प्रदेश का हक पहले से ही बनता है। हमारे प्रदेश का हक दूसरे प्रदेश पर कुर्बान करना न्यायसंगत नहीं है। पंजाब प्रदेश ने तो कई और चीजों को धक्काशाही से अपने पास रखा हुआ है। जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, क्या उसका मालिक पंजाब प्रदेश होगा ? चूंकि उस पर हरियाणा प्रदेश का भी हिस्सा है। स्पीकर सर, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहूंगा कि पंजाब सरकार द्वारा जो प्रस्ताव पास किया गया है, वह असवैंधानिक और निंदनीय है। पंजाब प्रदेश एक तरह से हरियाणा प्रदेश का बड़ा भाई है और ऐसे प्रदेश को इस तरह का प्रस्ताव पास करना शोभा नहीं देता है। पंजाब सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार के पास जो प्रस्ताव भेजा गया है, मैं उसकी निन्दा करता हूं। इंदिरा गांधी समझौता, राजीव लोंगोवाल समझौता और वेंकटरमैया आयोग ने पंजाब राज्य के क्षेत्र में पड़ने वाले हिंदी भाषी क्षेत्रों पर पहले से ही हरियाणा प्रदेश के दावे को स्वीकार किया हुआ है। स्पीकर सर, 1 अप्रैल, 2022 को पंजाब की विधान सभा में जो प्रस्ताव पारित किया

गया है, वह गहन चिन्ता का विषय है उसमें सिफारिश की गयी है कि चण्डीगढ को पंजाब में स्थानांतरित करने के मामले को केन्द्र सरकार के साथ उठाया जाए। स्पीकर सर, यह बात हरियाणा प्रदेश के लोगों को स्वीकार नहीं है। हरियाणा प्रदेश ने राजधानी क्षेत्र चण्डीगढ पर लगातार अपने अधिकार को बरकरार रखा है। इसके अलावा इस सदन में इससे पहले भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चण्डीगढ में हरियाणा राज्य के एक अलग उच्च न्यायालय के लिए 7 बार प्रस्ताव पास किये जा चुके हैं। इस प्रकार हमारा चण्डीगढ पर हक बनता है, लेकिन अभी भी हमारा प्रदेश उन अधिकारों से वंचित है। केन्द्र सरकार द्वारा हाल में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की भावना के खिलाफ है जो नदी योजनाओं को, उत्तराधिकारी पंजाब व हरियाणा राज्यों की साझा संपत्ति मानता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की चिंता व्यक्त करता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन में हरियाणा के प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की हिस्सेदारी कम हो रही है बल्कि जो हमारी मांगें अधूरी हैं, हमें उनसे वंचित रखा जा रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि उल्टा हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चंडीगढ़ को अलग करने का और चंडीगढ़ को लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इन परिस्थितियों में, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार केन्द्र सरकार से आग्रह करे कि वह ऐसा कोई कदम न उठाये, जिससे मौजूदा संतुलन बिगड़ जाये और जब तक पंजाब के पुनर्गठन से उत्पन्न सभी मुद्दों का समाधान न हो जाए, तब तक सद्भाव बना रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार केन्द्र सरकार से यह आग्रह भी करे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सतलुज–यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए उचित उपाय करे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसका हांसी बुटाना नहर के साथ कोई संबंध नहीं है। हांसी बुटाना नहर का पानी तो हरियाणा प्रदेश का ही है। मेरे हल्के में अजीमगढ़ गांव पड़ता है, उस गांव से तीन किलोमीटर दूर एस.वाई.एल. कैनाल गुजरती है, जिसमें से पानी लेना है। हम भी इसको बंद कर सकते हैं क्योंकि 3 किलोमीटर दूर तक तो हमारे यहां से पानी जाता है क्योंकि उस पानी को ले जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है और इस नहर का पानी इसी रास्ते से वहां पर जाता है। मैं समझता हूं कि उनका इसके साथ कोई झगड़ा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब एस.वाई.एल. कैनाल का मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला हमारे हक में दिया था। जो हांसी बुटाना नहर का मुद्दा है यह तो क्लीयर कट केस है क्योंकि हरियाणा सरकार ने हांसी बुटाना नहर को अपनी निगरानी में बनाने का काम किया था, इसको हमने अपनी भूमि पर बनाया है और इसको अपने हरियाणा प्रदेश में बनाया है। हम अपने ही प्रदेश में पानी का कट लगाकर के उस पानी को वहां दे सकते हैं तो फिर मुद्दा किस बात का है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से आग्रह करता हूं कि वह पंजाब सरकार पर दबाव बनाये कि वह अपना मामला वापस ले और हरियाणा राज्य को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी ले जाने व उसके समान वितरण के लिए हांसी बुटाना नहर की अनुमति दे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सरकारी संकल्प सदन में पेश किया है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं और मैं ताईद भी करता हूं कि जो सरकारी संकल्प पंजाब सरकार ने पारित किया है, वह गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और निदंनीय है। पंजाब सरकार द्वारा पारित किये गये सरकारी संकल्प की जितनी भर्त्सना की जाये उतनी कम है। पंजाब प्रांत का चंडीगढ़ पर कोई हक नहीं बनता है क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश का है और हरियाणा प्रदेश का ही रहेगा क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने और हमारे पुरखों ने इसके लिए बड़ी–बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। चंडीगढ़ पर केवल और केवल किसी प्रदेश का हक बनता है तो वह केवल हरियाणा प्रदेश का हक बनता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी सांपला किलोई) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी संकल्प पेश किया है। यह बहुत ही गंभीर मामला है और मैं समझता हूं कि यह हरियाणा प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। पंजाब प्रांत में अभी–अभी आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनी है और पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ को लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया है। पंजाब सरकार ने यह प्रस्ताव पास किया कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार ने प्रस्ताव तो यह पास करना चाहिए था कि चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश को दिया जाये और प्रस्ताव यह पास कर दिया कि चंडीगढ़ पंजाब प्रांत का है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक दो मुद्दे और भी रखे थे लेकिन पंजाब सरकार का सबसे मुख्य मुद्दा यही था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए पंजाब प्रांत का मकसद क्या था? इस विषय पर मेरा यही कहना है कि उनका कोई मकसद नहीं था। पंजाब सरकार ने यह प्रस्ताव

सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जुमले के लिए ही किया है लेकिन उस प्रस्ताव को पास करने के कोई संवैधानिक मायने नहीं है। वर्ष 1966 में जब हरियाणा प्रदेश बना तब शाह कमीशन की रिपोर्ट आई थी और शाह कमीशन ने अपनी मैजोरिटी से चंडीगढ़ हरियाणा को दिया था। यह बहुत ही लम्बी कहानी है मैं यह कहानी इस सदन में नहीं बताना चाहता लेकिन इस तरह के आपस में वाद–विवाद चलते रहे। पंजाब और हरियाणा के तीन मुद्दे हैं। पहला पानी का है दूसरा हिन्दी भाषी क्षेत्र का है और तीसरा राजधानी का है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पानी का सवाल है। वर्ष 1960 में जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का सिंधु नदी जल बंटवारे का फैसला हुआ था कि सतलुज, ब्यास और रावी इन तीन नदियों का सारा पानी समस्त तौर पर हिन्दुस्तान के द्वारा इस्तेमाल किया जायेगा। सतलुज पर उस समय डैम का निर्माण कार्य चल रहा था जो कि वर्ष 1946–47 में मंजूर हुआ था। देश के बंटवारे से पहले सतलुज का पानी आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जा रहा था। इसके लिए वहां पर प्रॉपर इंफ्रॉस्ट्रक्चर बना हुआ था। वर्ष 1960 में यह फैसला हुआ कि तीनों इस्टर्न नदियों के पानी को हिन्दुस्तान इस्तेमाल करेगा। उसके बाद हिन्दुस्तान द्वारा पाकिस्तान स्थित पंजाब में जो इंफ्रॉस्ट्रक्चर बना हुआ था उसकी एवज में 110 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था। इसके बाद उपरोक्त तीनों नदियों के पानी को हिन्दुस्तान द्वारा इस्तेमाल किया जाने लगा। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध का निर्माण हो चुका था लेकिन ब्यास और रावी का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। उसके बाद यह विचार किया गया कि ब्यास के पानी को कैसे इस्तेमाल किया जाये? इसके लिए सतलुज ब्यास लिंक नहर का निर्माण किया गया। इसके बाद ब्यास नदी का पानी गोबिंद सागर झील में आने लगा। इसी प्रकार से रावी पर रणजीत सागर डैम बनाने का फैसला किया गया। जहां तक सतलुज के पानी का सवाल है उसके बंटवारे का झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो रावी और ब्यास के सरप्लस पानी का है। रावी और ब्यास के सरप्लस पानी में हमारा हिस्सा हमें आज तक नहीं मिला। यह सिलसिला चलता रहा। इस सम्बन्ध में फैसले भी होते रहे। शुरू में यह फैसला हुआ कि अपने हिस्से का कुछ पानी हरियाणा नंगल डैम से ले ले। इसी प्रकार से हरिके पत्तन से पंजाब और राजस्थान अपने हिस्से का पानी ले ले। इसके बाद हमारे हिस्से का कुछ पानी हमें मिलने लगा। बाद में जब हरियाणा के हिस्से के साढ़े तीन एम.ए.एफ. पानी का फैसला हो गया तो उस समय हमारे पास उसके लिए कैरिंग कैनाल नहीं थी। इसके बाद

एस.वाई.एल. कैनाल के निर्माण की बात चली। हालांकि एक एन.बी.के. भी है लेकिन उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है। एस.वाई.एल. कैनाल के निर्माण की बात चली और उसके बाद यह फैसला हो गया है कि जो हरियाणा के हिस्से का पानी है वह एस.वाई.एल. कैनाल के माध्यम से हरियाणा में आयेगा। इसमें पहले दिल्ली का हिस्सा .20 एम.ए.एफ. था। हरियाणा अपने पूरे हिस्से में से 1.8 एम.ए.एफ. के करीब पानी बी.एम.एल. भाखड़ा मेन ब्रांच में से लेना शुरू किया। इसके बाद आज तक हरियाणा को अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल पाया है। इसके लिए लम्बे झगड़े चलते रहे। कभी पंजाब ने हरियाणा के हितों के खिलाफ फैसला कर दिया और कभी वॉटर एग्रीमैंट को ही टर्मीनेट कर दिया। जब बादल गवर्नमैंट आई तो उसने एस.वाई.एल. कैनाल को मिट्टी भरकर बंद करवा दिया। एस.वाई.एल. कैनाल के लिए एक्वॉयर की गई जमीन को डिनोटिफाई करके किसानों को उनकी जमीन ही वापिस कर दी। इस प्रकार से इस मामले में यह सभी कुछ चलता रहा। उसके बाद जब वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए और एस.वाई.एल. कैनाल का निर्माण होना चाहिए। उससे पहले वर्ष 1990 में एस.वाई.एल. कैनाल के निर्माण का कार्य बी.आर. ओ. को दिया गया। फिर एस.वाई.एल. कैनाल के निर्माण का कार्य किसी सैंट्रल एजेंसी को देने के बारे में निर्णय किया गया। इसके बाद यह कार्य सी.पी.डबल्यू. डी. को दिया गया। उसके बाद वर्ष 2004 में पंजाब सरकार द्वारा वॉटर एग्रीमैंट को टर्मीनेट कर दिया गया। उस समय यह एक बहुत ही जटिल समस्या हो गई। उस समय इस मामले से सम्बंधित बिल पंजाब की असैम्बली में पास कर दिया गया। उस समय हमने देखा कि हमारे हक को छीना जा रहा है। उस दौरान मैं सांसद था। उस समय हरियाणा से ज्यादातर सांसद कांग्रेस पार्टी के ही थे। शायद उस समय एक सांसद इनेलो का था और बाकी सारे के सारे अर्थात् 9 के 9 लोक सभा सांसद कांग्रेस पार्टी के थे। मैं अपनी पार्टी का कंवीनर था। उस समय हम प्रधानमंत्री को भी मिले और राष्ट्रपति को भी मिले। उस समय सुप्रीम कोर्ट को एक Presidential Reference किया गया। उसके बाद इस सारे के सारे मामले पर विचार करने के लिए एक कांस्टीच्युशनल बैंच की स्थापना की गई। मैं यह समझता हूं कि हिन्दुस्तान के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला केस होगा जिसमें इतनी लम्बी सुनवाई के बाद वर्ष 2016 में फाईनल डिसीजन हुआ। उस फैसले में यह स्पष्ट हुआ है कि यह हरियाणा का हक है। पंजाब ने जो फैसला

लिया था वह इनवैलिड था तथा उसको रोकने के लिए पंजाब नये–नये पैतरे अपना रहा है। माननीय साथी ईश्वर सिंह जी ने कहा था कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। उनकी बात ठीक है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है तथा हम एक परिवार से अलग हुए हैं लेकिन इसमें दो बातें हैं। एक तो होता है बिग ब्रॉदर और एक होता है ऐल्डर ब्रॉदर। पंजाब अगर ऐल्डर ब्रॉदर बने तो हमें कबूल है लेकिन अगर पंजाब बिग ब्रॉदर बनना चाहता है तो वह हमें मंजूर नहीं है क्योंकि वह हमारे हिस्से को मार कर बैठा है, उसको ऐल्डर ब्रॉदर की भूमिका निभानी चाहिए। जहां तक चण्डीगढ़ की बात है तो चण्डीगढ़ पर पंजाब का कोई हक नहीं है। चण्डीगढ़ यू.टी. है और दोनों प्रदेशों की राजधानी है। चण्डीगढ़ यू.टी. कैसे बना यह सभी को मालूम है। हम हरियाणा प्रदेश के लिए चण्डीगढ़ में ही अलग हाई कोर्ट की मांग कर रहे हैं और पंजाब हमसे चण्डीगढ़ ही वापिस लेना चाहता है। आज दोनों प्रदेशों में जो भाईचारा बना हुआ है उसको बनाये रखा जाना चाहिए लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.वाई.एल. नहर से संबंधित जो फैसला हरियाणा के हक में दिया हुआ है, पंजाब वह फैसला न मान कर पंजाब हरियाणा के उस भाईचारे को बिगाड़ना चाहता है। मैं चाहता हूं कि यह भाईचारा कायम रहना चाहिए तथा हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। यह जो प्रस्ताव सदन में लाया गया है इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1961 में रावी–ब्यास का पानी पंजाब में आना शुरू हुआ था और उस समय पंजाब में जो सरकार थी उसने जो आज का पंजाब है उस एरिया में ज्यादा पानी देने की बात की थी लेकिन 1965 में जो हरियाणा के नेता थे उन्होंने उसका विरोध किया। उसके बाद इसके लिए विभिन्न कमेटीज बनी तथा उन्होंने पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही। उन कमेटीज ने रावी–ब्यास का पानी आज के हरियाणा को अधिक दिया। वर्ष 1971 में उन कमेटीज ने अपनी रिपोर्ट दी तथा 1976 में भारत सरकार ने आदेश पारित किये। तभी से रावी–व्यास के पानी पर हमारा हक है और हमारा हक मरता चला जा रहा है। आज इस सदन में जो तीन–चार मुद्दे आये हैं ये बहुत ज्वलंत हैं। इनमें एक तो चण्डीगढ़ का मुद्दा है। अभी हाल ही में केन्द्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से चण्डीगढ़ के कर्मचारियों पर केन्द्र सरकार के रूल्ज लागू कर दिये हैं, उसके बारे में हमारा कोई ऐतराज नहीं है लेकिन चण्डीगढ़ में हमारे अधिकारी जिस अनुपात में लगते रहे हैं वे कम नहीं होने चाहिएं। हमारे 6 एच.सी.एस. ऑफिसर्स चण्डीगढ़ में पोस्टिड होते थे अगर ये नियम

लागू होंगे तो वे 3 रह जायेंगे। उनके स्थान पर केन्द्र सरकार के अधिकारी आयेंगे और हो सकता है हम उनको जानते भी न हों तो फिर हम उनसे काम के लिए कैसे कहेंगे इसलिए मेरा कहना यह है कि जिस अनुपात में हमारे अधिकारी चण्डीगढ़ में पोस्टिड रहे हैं उसी अनुपात में उनकी नियुक्ति होती रहे। इसी तरह से अगर भाखड़ा–ब्यास मैनेजमैंट बोर्ड की बात की जाये तो वह कब बना, अकेले सतलुज नदी के पानी के लिए भाखड़ा ब्यास मैनेजमैंट बोर्ड नहीं बना क्योंकि अकेले सतलुज के लिए तो भाखड़ा था लेकिन बी.बी.एम.बी. तब बना है जब रावी और ब्यास नदियों का पानी हमें मिलना शुरू हुआ। जब यह बी.बी.एम.बी. बना तभी से एक्ट में प्रावधान है कि इसमें एक मैम्बर हरियाणा से होगा, एक पंजाब से होगा और एक राजस्थान से होगा। कन्वैंशनली बी.बी.एम.बी. में जो मैम्बर्स थे उनमें इरीगेशन का मैम्बर सदैव हरियाणा से रहा है तथा पॉवर का मैम्बर पंजाब से रहा है। इसके साथ–साथ यह भी कन्वैंशन थी कि जो बी.बी.एम.बी. का चेयरमैन हो वह पार्टिसिपेटिंग स्टेट से न हो कर बाहर से हो। लेकिन अब केन्द्र सरकार द्वारा उसमें बदलाव किया जा रहा है। मैम्बर के लिए क्वालिफिकेशन ऐसी रखी गई है कि वह हरियाणा से बाहर का भी हो सकता है। अगर हरियाणा से बाहर का कोई व्यक्ति बी.बी.एम.बी. में मैम्बर बन गया तो हमें पहले ही हमारे हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है, वह और भी कम हो जायेगा। बी.बी.एम.बी. में एक अच्छी बात यह है कि इसका चेयरमैन बाहर का होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये तीन–चार मुद्दे हैं। इनमें एक हांसी बुटाना नहर का मुद्दा भी है। इसमें हम किसी का हिस्सा नहीं ले रहे हैं लेकिन पंजाब ने इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पर भी अपना अलग से स्टॉप लगा रखा है। अब तो पंजाब बिग ब्रॉदर बन रहा है एल्डर ब्रॉदर नहीं रहा है।

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जबकि यह सारा पानी हरियाणा से होकर जाता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, उनका कहना है कि जो पंचर होता है वह भी हरियाणा में होता है। वह पंजाब की टैरेट्री में नहीं है। हम सबको मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आप जो ये प्रस्ताव लेकर आए हैं इसके और हरियाणा के हितों के मुद्दों के लिए आप जहां कहेंगे हम आपके साथ खड़े पाएंगे। आप चाहे प्रधानमंत्री जी से मिलें, चाहे राष्ट्रपति जी से मिलें, चाहे गवर्नर साहब से मिलें हम सब इक्ट्ठे होकर उनसे मिलकर अपने

हकों की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे चण्डीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर में पंजाब और हरियाणा की 60–40 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। जब मैं मुख्यमंत्री था उसी समय से मैं प्रयास कर रहा हूं। उस समय भी मैंने पत्र लिखा था कि चण्डीगढ़ का Administrator is always Governor of Punjab, why? अगर गवर्नर को ही एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है तो या तो रोटेशन से बनाएं या फिर कोई इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर रखें। आइदर बाई रोटेशन एक साल हरियाणा का राज्यपाल चण्डीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर रहे और एक साल पंजाब का राज्यपाल चण्डीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर रहे तब तो कोई बात समझ में आती है। इस तरह तो गवर्नर साहब के प्रिंसिपल सैक्रेटरी भी पंजाब से होंगे और बाकी अधिकारी भी पंजाब से होंगे तो फिर हमारे हरियाणा के लोगों की सुनवाई कौन करेगा। हमारे पास हरियाणा के बहुत सारे कर्मचारी आते हैं जो हमें यह बताते हैं कि हमें पूरा न्याय नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को अपने इस प्रस्ताव में इस बात को भी रखना चाहिए। पंजाब सरकार ने जो प्रस्ताव पास किया है वह पता नहीं किसने बनाया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि–

> ”Chandigarh city was created as the Capital of Punjab. In all past precedents, whenever, a state has been divided, the capital remains with the parent state. Punjab therefore, has been laying its claim for complete transfer of Chandigarh to Punjab.”

इनको अभी मालूम ही नहीं है। अभी आन्ध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है जिसमें हैदराबाद तेलंगाना में चला गया है और आन्ध्र प्रदेश अपनी अलग राजधानी बना रहा है। जब शाह कमीशन ने चण्डीगढ़ हरियाणा को दिया था तो इस पर हरियाणा का हक है। अगर पंजाब को अपनी अलग राजधानी बनानी है तो बना ले। उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। जैसे अब आसाम की राजधानी गुवाहटी है लेकिन पहले आसाम की राजधानी शिलोंग थी। इस तरह तो पंजाब यह भी कहेगा कि जब ज्वाइंट पंजाब था उस समय गर्मियों में पंजाब की राजधानी शिमला थी और सर्दियों में चण्डीगढ़ थी। उस समय मैं तो ज्यादातर शिमला में बैनमोर में ही रहता था क्योंकि मेरे पिता जी उस समय मंत्री थे तो उनको वहां कोठी मिली हुई थी मैं तो उस कोठी पर ही रहता था। इस तरह तो पंजाब यह कहेगा कि शिमला भी हमें दे दें इसलिए इनका कोई आधार नहीं है। अतः मेरी सभी साथियों से अपील है कि आप अपने–अपने विचार व सुझाव रखें लेकिन जहां हरियाणा के हित का सवाल

होगा वहां हम नीचे से ऊपर तक एक जुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और जहां हरियाणा का अहित दिखाई देगा उसके लिए भी हम एक जुट होकर लडाई लड़ेंगे। धन्यवाद।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रेजोल्यूशन पंजाब रेजोल्यूशन के उपरांत रखा है। मैं उसका पूरी तौर से समर्थन करता हूं। इस संबंध में मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि चण्डीगढ़ हरियाणा प्रदेश की राजधानी थी, है और आगे भी रहेगी। हरियाणा अपने क्षेत्र को जिस तरीके से पूर्व में अलग कमीशंज, ट्रिटीज के माध्यम से हरियाणा के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की गई है उसको भी हम केन्द्र सरकार के साथ मजबूती से आगे ले जाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, 23 अप्रैल 1966 को शाह कमीशन का गठन हुआ था। उसके उपरांत यह रिक्मंड किया गया था कि खरड़ और मोहाली के क्षेत्रफल को भी चण्डीगढ़ के साथ हरियाणा का हिस्सा बनाया जाए लेकिन उसको उस समय की केन्द्र की सरकार ने मान्य नहीं किया, यह एक अलग विषय है लेकिन आज जो रेजोल्यूशन हरियाणा सरकार लेकर आई है इसके प्रति भी हम केन्द्र सरकार के साथ गम्भीरता से चर्चा करेंगे कि केन्द्र सरकार उस समय की कमीशन की रिपोर्ट को विचाराधीन लाकर उस पर कदम उठाने का काम करे। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चण्डीगढ़ में हमारी 60–40 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही है उसके बावजूद भी आज केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के प्रशासन में हरियाणा सरकार से प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की हिस्सेदारी निरंतर कम की जा रही है। यह हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि हम इस मामले को टेकअप करें क्योंकि केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ हमारी राजधानी भी है इसलिए हमारे जितने ऑफिसर्ज डैप्यूटिड थे उस नम्बर्स को वापिस इसके अन्दर इस्टैब्लिस्ड किया जाए। जिस प्रकार से पिछले दिनों केन्द्र सरकार ने बी.बी.एम.बी. के अन्दर एक बदलाव लाने का काम किया है उस बारे हरियाणा सरकार गंभीर है और हरियाणा सरकार अपने इस अधिकार को फौरी तौर पर पहले की तरह इस्टैब्लिस्ड करने की कोशिश में लगे हुए हैं और आगे आने वाले समय में हम केन्द्र सरकार के साथ चर्चा करके वापिस रि–सैंटर करने का काम भी करेंगे। एक विषय मैं यह भी जरूर सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जैसेकि अध्यक्ष महोदय आपने पिछले दिनों इस विधान सभा परिसर की बात की थी, आज इस विधान सभा के अंदर भी 60:40 प्रोपोर्शन में डिवीजन नहीं है। आज भी इस विधान सभा का केवल मात्र 27 परसेंट हिस्सा

हरियाणा के पास है और बैलेंस हिस्सा पंजाब के पास है। हमने तो केन्द्र से भी मांग की है और अध्यक्ष महोदय आपने भी इस बात के लिए बार–बार हरियाणा की तरफ से पक्ष रखा है कि हमें इंडीपेंडेंटली, हरियाणा विधान सभा का परिसर बनाने के लिए जमीन दे दी जाये। निश्चित रूप से यह अच्छा कदम है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रेजोल्यूशन में और भी कई बातों को बड़ी स्पष्टता के साथ रखा है। पंजाब और हरियाणा की डिवीजन के बाद हाई कोर्ट की प्रोपोर्शन 2/3 पंजाब के हिस्से में तथा 1/3 हरियाणा के हिस्से में रखने का काम किया गया था और बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद इसको रिवाइज किया गया और स्टेट प्रोप्रोर्शन डिवीजन के हिसाब से 40 परसेंट हरियाणा की हिस्सेदारी रखी गई और 60 परसेंट पंजाब की हिस्सेदारी रखने का काम किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह भी देखने वाली चीज है कि आज इस हाई कोर्ट के अंदर भी कितनी पैरिटी बनी हुई है। यहां पर टॉप 14 जजिज में से पहले 13 जजिज पंजाब प्रदेश के हैं या फिर दूसरे प्रांतों से आये हुए हैं और 14वें नम्बर पर जो जज है, वह हरियाणा प्रदेश से आता है। आज पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में जो केस फाइलिंग की मात्रा है, वह 55 परसेंट हरियाणा की है। समय आ चुका है कि इस 55 परसेंट मात्रा के विषय को भी इस रेजोल्यूशन के साथ जोड़ते हुए, केन्द्र के साथ टेक–अप करने का काम किया जाये और कहा जाये कि या तो केन्द्र हमें नया व सैपरेट हाई कोर्ट बनाने के लिए लैंड एलोकेट करने का काम करे नहीं तो जो केस फाइलिंग की मात्रा है, उसको आधार बनाकर, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के अंदर हरियाणा की हिस्सेदारी को कम से कम 50 परसेंट रखने का काम किया जाये। लोवर ज्यूडिशरी या सैशन कोर्ट से जो जजिज प्रमोट होकर आते हैं, उस संदर्भ में भी हरियाणा की हिस्सेदारी बढ़ाने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनियन टैरिटरी का एक अहम हिस्सा है। एक समय था जब इस यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा की हिस्सेदारी 40 परसेंट के हिसाब से होती थी लेकिन आज ऐसा नहीं है। अतः हमारी यह भी जिम्मेवारी बनती है कि हम दोबारा से पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 60:40 प्रोपोर्शन को रिइंस्टेट करवाने का काम करें ताकि हमारे प्रदेश के प्रोफेसर्ज को यहां पर जगह मिल सके और इससे हमारे बच्चों को भी एक तरह से स्पोर्ट मिलेगी और वे अपनी एजुकेशन अच्छी तरह से परश्यू कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, यूनियन टैरिटरी के अंदर ग्रुप–सी तथा ग्रुप–डी की जॉब्स के लिए पंजाबी भाषा को अनिवार्य बनाया गया था जिसकी वजह से हमारे

हरियाणा के बच्चे यूनियन टैरिटरी के अंदर रोजगार से वंचित रह जाते थे लेकिन अब जिस प्रकार से केन्द्र के सर्विस रूल यहां पर लागू किए गए हैं, इससे अब यहां पर पंजाबी भाषा की अनिवार्यता नहीं रहेगी और हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र तथा खास तौर पर हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चों को भी चंडीगढ़ में रोजगार उपलब्ध हो सकेगा जोकि पहले पंजाबी भाषा की अनिवार्यता के कारण चण्डीगढ़ में रोजगार पाने से वंचित रह जाते थे । मैं इसके लिए भी आज इस सदन के माध्यम से हमारी केन्द्र सरकार को धन्यवाद करना चाहूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, उसके लिये अमैंडमैंट करना पड़ेगा। आज भी चण्डीगढ़ के कर्मचारी के लिये पंजाबी भाषा कम्पलसरी है। Centre government has to amend it.

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को जरूर बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने इसको स्वीकृत कर लिया है और इसकी कॉपी नेता प्रतिपक्ष कहेंगे तो उनके पास भिजवा देंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं महान सदन में यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि यदि हमारे प्रदेश में एक मीटर तक पानी कम हो जाये तो हम जेली तक उठा लेते हैं। लेकिन आज तो बात हमारी राजधानी की चल रही है। जो हमारी पहली प्राथमिकता है। अध्यक्ष महोदय, सतलुज–यमुना लिंक नहर के लिए हम निरंतर लड़ते आ रहे हैं। इस मुद्दे को भी केन्द्र सरकार जल्दी से जल्दी निपटाये और इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश भी हुए हैं। जिस समय स्व0 चौधरी देवी लाल देश के उपप्रधानमंत्री थे, उन्होंने बी.आर.ओ. (Border Roads Organisation) के माध्यम से सतलुज–यमुना लिंक नहर का निर्माण शुरू करवाया था। अब केन्द्र सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के और प्रैजीडैंश्यिल रैफ्रेरैंस के जो इस संबंध में आदेश हुए हैं, उसके अनुसार जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाये। अध्यक्ष महोदय, पंजाब ने तीन हजार कुछ एकड़ जमीन अपने एक्ट के माध्यम से किसानों को वापिस देने का काम किया था, उसको दोबारा से टेकअप करके उसकी कंस्ट्रक्शन को भी आगे ले जाने का काम किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो सरकारी संकल्प लाया गया है, उसका पूरजोर समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द जो हमारी समस्याएं प्रदेश की राजधानी चण्डीगढ़ से संबंधित हैं, उनको टेकअप करके रिजोल्व करने का काम करना चाहिए। धन्यवाद।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सरकारी संकल्प पर बोलने का समय दिया, इसके लिये आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज हमें बड़ा गंभीर मसला प्रदेश के हितों के प्रति देखने को मिल रहा है। सरकार ने विशेष सत्र जो सरकारी संकल्प को लेकर बुलाया है, मैं इसका पूरजोर समर्थन करता हूँ और हरियाणा प्रदेश के लोग भी इस संबंध में आपके द्वारा बुलाये गये इस विशेष सत्र के लिये धन्यवादी होंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भी इस संबंध में बातें कही हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि किसी भी बात को दोबारा से सदन में न कहूं। अध्यक्ष महोदय, सतलुज–यमुना लिंक नहर के लिये कई अनुबंधों, आंदोलन, संघर्ष, समझौतों, ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों और देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में, सभी ने पानी पर हरियाणा के दावे को बरकरार रखा है। कई सरकार इन मुद्दों के कारण सत्ता से गई और कई सरकारें इन मुद्दों पर सत्ता में आई। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा पूरा हरियाणा यह देख रहा है कि जिस मुद्दे को लेकर यह विशेष सत्र बुलाया गया है, उसको लेकर यह महान सदन किस बात को लेकर किस दिशा में और कहां जायेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बताया है कि इसमें हम सभी ने मिलकर अपने–अपने राजनीति स्वार्थों से ऊपर उठकर बहुत बड़ी–बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आज हम सभी को अपनी–अपनी राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर मिलकर इस मुद्दे पर आगे आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आश्वासन देते हैं कि इस गंभीर मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात लाइटली कहना चाहूंगा । दैनिक ट्रिब्यून प्रदेश का एक विश्वसनीय समाचार पत्र है । उसमें संदीप जोशी जी का ताऊ बोल्या के नाम से एक कॉलम आता है । उसमें आज लिखा है कि –

"हरियाणा विधान सभा का विशेष सत्र आज"

"चौधरियों, 56 साल मैं तै कुछ होया कोनी, इब एक दिन मैं के उखाड़ोगे"

अध्यक्ष महोदय, यह हम पर कितना बड़ा तंज है । इस बात के हरियाणवी भाषा में क्या मायने हैं मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहता लेकिन इसमें इलैक्टिड रिप्रेजैंटेटिव पर, उनकी इंटेग्रिटी पर, क्षमता पर, कार्यशैली पर और फैसले पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया गया है । इससे हमें सबक लेकर अपने हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए । सर्विस रूल्ज की चिंगारी पंजाब विधान सभा में लगी और उसकी लपटें हरियाणा विधान सभा तक भी आई हैं । मैं कहना चाहता हूं कि

इसमें सारा भार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदन के नेता हैं और इनकी इलैक्टिड सरकार है । इन लपटों से हरियाणा को कैसे बाहर निकालना है, हरियाणा के हित किस तरह से सुरक्षित रहेंगे, हरियाणा को उसके हिस्से का पानी कैसे मिलेगा, हरियाणा और पंजाब दोनों प्रदेशों का भाईचारा कैसे बना रहेगा यह भार माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर ही है । अतः इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रयास करने होंगे क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं है । स्पीकर सर, मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस कह रहा हूं कि सर्विस रूल्ज की चिंगारी इतनी ऊंचाई तक जाएगी कि इसकी वजह से बहुत बड़े आंदोलन भी हो सकते हैं, बड़ी कुर्बानियां भी हो सकती हैं । अतः यह बहुत बड़ा इशू है । अभी तक जितने भी वक्ता बोले हैं उनमें मुख्यतः तीन बातों का जिक्र आया है । मैं सबसे पहले एस.वाई.एल. नहर पर बात करना चाहूंगा क्योंकि यह हमारे प्रदेश की लाइफलाइन है । इसके न होने की वजह से हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जाना चाहिए क्योंकि प्रदेश को पिछले 56 साल से एस.वाई.एल. नहर का पानी नहीं मिला है । अगर किसी किसान को 5 मिनट की देरी से नहर का पानी मिलता है तो उस विषय पर हमने प्रदेश में मर्डर होते हुए देखे हैं । सिर्फ 5 मिनट की देरी से मिले पानी पर प्रदेश में अनेक मर्डर हुए हैं । हमें तो पंजाब से 56 साल से पानी नहीं मिल रहा है । अगर इस नुकसान का अंदाजा लगाए तो पता चलेगा कि प्रदेश को अरबों–खरबों रुपये का नुकसान हुआ है और प्रदेश की इकोनॉमी शटर हुई है । दूसरी ओर ज्यादा पानी की वजह से पंजाब में सेम की समस्या पैदा हो रही है । ज्यादा पानी की वजह से पंजाब में भी बड़ी भारी समस्या है । अब सरकार द्वारा हरियाणा राज्य के सही दावों को अस्वीकार करने के लिए पंजाब द्वारा कानून बनाए जाने के विरोध में विधान सभा सत्र में रेजोल्यूशन लाया गया है । इसके लिए वर्ष 2004 में कानून भी आया था । फिर प्रेजीडैंशियल रेफ्रैंस आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी वर्ष 2016 में फैसला आ गया कि एस.वाई.एल. नहर का निर्माण कार्य पूरा किया जाए और उसका पानी हरियाणा को दिया जाए । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन से एक सवाल करना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में फैसला आ गया तो फिर उस फैसले का लागू न होना क्या सुप्रीम कोर्ट का कंटैम्प्ट नहीं है ? सदन की यह बात सुप्रीम कोर्ट के कानों तक जानी चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले कि उसका फैसला लागू क्यों नहीं किया गया । मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या

मजबूरियां थी जिनकी वजह से वह फैसला लागू नहीं हुआ, इस देश का कस्टोडियन कौन है, हमारे संविधान के संरक्षक कौन हैं ? यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है । इंटरनैशनल कम्युनिटी में भी यह इशू है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू क्यों नहीं हुआ । अब सदन में बात आई है कि इसके लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय से मिला जाए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिला जाए। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आज सभी माननीय सदस्यों को राजनीतिक बातों से ऊपर उठकर संबंधित विषय पर मिलकर काम करना चाहिए। जब केन्द्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 को हटाया था तो उस समय पूरा देश देख रहा था और उस पर पूरे देश में केन्द्र सरकार की वाहवाही भी हुई थी। इसी प्रकार अगर प्रदेश सरकार एस.वाई.एल. को कम्पलीट करवा देगी तो उसमें भी सरकार की वाहवाही होगी। वहां पर लोग नहर को आंट रहे हैं और समझौते को डि–नोटिफाई किया जा रहा है। वहां पर लोगों से जमीनें वापिस ली जा रही हैं तो ऐसी स्थिति में नहर कैसे बनेगी ? पंजाब की सरकार कह रही है कि अगर एक बूंद पानी भी एस.वाई.एल. में चला गया तो खून की नदियां बहेंगी। आज इस समय सदन में सभी पार्टीज के चुने हुए माननीय सदस्यगण बैठे हुए हैं। मैं एक बात बड़ी क्लीयरिटी के साथ कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा वक्त है जिसमें आखिरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आर– पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस लाईन पर चलने से हमें या तो हमारे प्रदेश का हक मिल जाएगा और अगर नहीं मिलेगा तो दूसरा रास्ता निकल आएगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके सामने यह बात रखूंगा कि किसान आंदोलन के दौरान दोनों प्रदेशों का भाईचारा बढ़ा है और उस दौरान एक संघर्ष की बिगुल बजाई गयी थी। रूलिंग पार्टी के लोगों ने भी ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी। आज के इस विषय पर हमारी पार्टी भी सरकार के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है। इसमें सरकार लीड करेगी तो हमारी पार्टी भी साथ खड़ी मिलेगी। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी सेनापति हैं और वह कोई भी ड्यूटी लगाएंगे तो हम बॉर्डर पर मजबूती के साथ खड़े मिलेंगे। स्पीकर सर, इसमें मैं एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि अगर अब यह आर– पार की लड़ाई नहीं लड़ी गयी तो आने वाली पीढियां और आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। अंत में, मैं इन शब्दों के साथ अल्लामा इकबाल का एक शेर कहना चाहूंगा जिसको चौधरी छोटू राम जी भी बार– बार कहते थे कि–

'खुदी को कर बुलंद
इतना कि हर तकदीर
से पहले खुदा बन्दे से
खुद पूछे, बता तेरी
रजा क्या है।'

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस सरकारी संकल्प पर अपनी बात रखने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सरकारी संकल्प पर अपनी बात रखना चाहता हूं, इसलिए मुझे भी अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, आपको बाद में अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जाएगा। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सरकारी संकल्प पर अपनी बात रखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। पंजाब सरकार ने चण्डीगढ को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया है, वह राजनैतिक प्रस्ताव है और शरारतपूर्ण प्रस्ताव है। पंजाब राज्य की सरकार यह जानती है कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो रियायतें देने का वायदा करके सत्ता हथियाई है, वे वायदे कभी पूरे नहीं कर सकते और पंजाब राज्य की हालत श्रीलंका जैसी होने वाली है। पंजाब सरकार ने अपने प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह मुद्दा छेड़ने की कोशिश की है। हमें इसको समझना चाहिए कि उनकी मंशा क्या है? पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं और वह अभी शिशुकाल में है। उसके दूध के दांत भी नहीं आए हैं और चण्डीगढ को लेने की बातें करते हैं। क्या उनको चण्डीगढ ऐसे ही दे दिया जाएगा ? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन यह शाश्वत सच है कि चण्डीगढ पर हरियाणा प्रदेश के हक के लिए जितने भी कमीशन/आयोग पंजाब और हरियाणा प्रदेश के द्वारा बनाये गये थे, फिर उनमें चाहे शाह कमीशन हो, इराडी ट्रिब्यूनल हो, चाहे राजीव लोंगोवाल अवार्ड हो या चाहे इंदिरा गांधी अवार्ड हो, उनमें हरियाणा प्रदेश के साथ इन्साफ नहीं हुआ। यह शाश्वत सच है। हमें इसको मानना चाहिए। हमने इसके लिए लम्बी–लम्बी लड़ाईयां भी लड़ी हैं लेकिन आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हमने एस.वाई.एल. कैनाल के पानी को लेने के लिए लड़ाई भी

लड़ी और जो कि हमारा हक भी बनता है और हमें सारे ट्रिब्यूनल में 3.5 एफ.ए.एम. का पानी दिया है। हम वह पानी आज तक भी नहीं ला सके हैं। अभी हमारे साथी विधायक ने बोलते हुए कहा था और हम इस बात से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश को उसका इकॉनोमिकली कितना नुकसान हुआ है? हमारे खेतों की प्यास जिस पानी से बुझनी थी, वो खेत हमारे प्यासे रह गये। हरियाणा मेहनतकश लोगों का प्रदेश है और हरियाणा ने करके दिखाया है। जब वर्ष 1966 में हरियाणा व पंजाब बना, तो हरियाणा की हालत ठीक नहीं थी लेकिन हरियाणा के लोगों ने मेहनत करके हरियाणा को संवारा। हरियाणा को तरक्की की बुंलदियों तक पहुंचाया और आज हालत ये हैं कि अभी मेरे कुछ साथी कह रहे थे कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है लेकिन आज हम उससे बड़े नजर आते हैं क्योंकि आज हमारी जो इकॉनोमिक ग्रोथ है वह पंजाब से ज्यादा है। आज हमने पंजाब से बड़ा बनकर दिखाया है। सदन का यह स्वरूप देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम सब अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को भुलाकर, हम सब इस मुद्दे पर एक होकर लड़ाई लड़ने और कुछ भी करने के लिए, हुड्डा साहब ने भी बाबुलंद कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर जहां कहोगे जिधर कहोगे, जाने के लिए तैयार है। हम तहेदिल से इनका स्वागत करते हैं। अच्छा लगता है कि जब देश व राष्ट्र का मुद्दा हो तो आपसी मुद्दे बीच में आने नहीं चाहिएं। उन मुद्दों को एक साइड में रख देना चाहिए क्योंकि उन मुद्दों के लिए और समय है। हमें उन मुद्दों के लिए भी लड़ाई लड़नी है और हम लडेंगे भी लेकिन आज यह समय है कि जो पंजाब सरकार ने यह शरारत की है, मैं इसको शरारत कहता हूं। इस वक्त इस मुद्दे को उठाकर पंजाब सरकार ने शरारत की है। चंडीगढ़ अकेला कोई मुद्दा नहीं है इसके साथ एस.वाई.एल. कैनाल का पानी जुड़ा हुआ है इसके साथ हिन्दी भाषी क्षेत्र जुड़े हुए हैं और इसके साथ नई कैपीटल बनाने के लिए फाइनैंशियल मदद जुड़ी हुई है। अगर हम नई कैपीटल बनायें तो उसके लिए हमें केन्द्र से कैपीटल बनाने के लिए पैसा मिलना चाहिए ताकि उसके मुताबिक हम नई कैपीटल बना सकें। जब तक इन सारे मुद्दों का एकल फैसला नहीं होगा, हरियाणा यहां डटा रहेगा। चंडीगढ़ से हरियाणा (अंगद) का पैर लगा रखा है और हरियाणा (हमारा) के पैर को कोई उखाड़ नहीं सकता। हम चंडीगढ़ में डटे रहेंगे जब तक हमें एस.वाई.एल. कैनाल का पानी नहीं मिलता, हमें हिन्दी भाषी क्षेत्र नहीं मिलते और नई राजधानी बनाने के लिए हमें पैसा नहीं मिलता तब तक चंडीगढ़ हमारा है।

(विघ्न) अध्यक्ष महोदय, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अगर मैंने बोलते हुए कुछ गलत बोल दिया है तो मैं उसको करैक्ट कर लूंगा। आज तो इनके साथ हमारी दोस्ती है मैं इसको करैक्ट कर लूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये अम्बाला भी जाते रहें लेकिन चंडीगढ़ पर भी अपना दावा मजबूत रखें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, मेरा तो यही कहना है कि हमें जैन्युईन बात करनी चाहिए। अगर हमें हमारे हिस्से का पूरा पानी मिल जाता है, हमें हिन्दी भाषी क्षेत्र मिल जाते हैं और हमें अपनी नई राजधानी बनाने के लिए आवश्यक धनराशि मिल जाती है तो उसके बाद हम चण्डीगढ़ के बारे में विचार कर सकते हैं। मेरा यह भी कहना है कि हमें पूरी बात करनी चाहिए। मैं अधूरी बात नहीं कर रहा हूं। जब तक यह नहीं होता तब तक हम चण्डीगढ़ सहित अपनी सभी मांगों पर डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज जो यहां पर प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया सबसे पहले इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे से पूर्व सभी मैम्बर्ज जो इस प्रस्ताव पर बोले हैं उन सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि विज साहब ने जो बात कही वह बात कहकर उन्होंने तो जो प्रस्ताव सदन के नेता लेकर आये और जो बात उन्होंने रखी उसको खत्म कर दिया। उन्होंने उस बात को यह कहकर खत्म कर दिया कि हमें अपनी कैपिटल बनाने के लिए केन्द्र सरकार पैसा दे। मेरा यह कहना है कि अगर ऐसी ही बात थी तो उस सूरत में इस प्रस्ताव की जरूरत ही क्या थी? फिर तो आज सिर्फ इसी बात पर विचार करने के लिए सदन बुलाना चाहिए था कि हम अपनी एक अलग कैपिटल बनाये और उसके लिए एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दें कि केन्द्र सरकार हमें इसके लिए पैसा दे दे। पंजाब को चण्डीगढ़ दे दिया जाये हमें हिन्दी भाषी क्षेत्र और पानी दे दिया जाये। मेरे कहने का यह मतलब है कि पहले आपस में राय तो करनी चाहिए कि हमें आज सदन में क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद विज साहब इस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं हैं। मजबूरी में उनको यह कहना पड़ा क्योंकि उनके नेता सदन में इस प्रस्ताव को लेकर आये। स्पीकर सर, हरियाणा का गठन 01

नवम्बर, 1966 को हुआ। इसके लिए सरदार हुकम सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने 23 सितम्बर, 1965 को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद 23 अप्रैल, 1966 को भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। उनको यह कहा गया कि आप दोनों राज्यों की सीमाओं का फैसला करोगे कि किस स्टेट के पास कौन सा इलाका जायेगा। उस समय उन्होंने यह फैसला किया कि हिसार, महेन्द्रगढ़, गुरूग्राम, रोहतक, करनाल और संगरूर जिले की तत्कालीन नरवाना व जीन्द दो तहसील, तत्कालीन खरड़ तहसील का एरिया, चण्डीगढ़ का कैपिटल प्रोजैक्ट, नारायणगढ़, अम्बाला और जगाधरी का सारा इलाका हरियाणा को दिया जाये। यह फैसला लागू नहीं हो सका। उसके बाद चण्डीगढ़ को पंजाब व हरियाणा दोनों की कैपिटल बना दिया। शाह कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो इलाका हरियाणा को मिलना चाहिए था वो हरियाणा को देने के बजाये इस पर राजनीति शुरू हो गई। राजनीति भी यह शुरू हुई कि अगर यह इलाका हरियाणा को दे दिया जायेगा तो आने वाले समय में हमें पंजाब से कहीं इसका कोई खामियाजा न उठाना पड़े। कहीं कल को हमें कोई नुक्सान न हो जाये क्योंकि जो उस समय का अकाली दल था वह शाह कमीशन के इस निर्णय का विरोध कर रहा था इसलिए तत्कालीन केन्द्र सरकार को यह अंदेशा था कि कहीं कल को वह पंजाब की सत्ता पर काबिज न हो जाये। इसके लिए एक अधूरा अवॉर्ड सुनाया गया। उसमें हमें पानी का जितना हक मिलना था वह पूरा नहीं मिल पाया। जहां तक एस.वाई.एल. नहर की बात है जिसका जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया है। हमने एस.वाई.एल. नहर के लिए बहुत लम्बे समय तक लड़ाई लड़ी है। केवल हमारी पार्टी थी जिसने एस.वाई.एल. नहर को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन भी चलाया था। आंदोलन के साथ–साथ समय–समय पर प्रदेश में जब भी हमारी पार्टी की सरकार बनी तो इस पर गम्भीरता से काम भी किया है। जब वर्ष 1987 में स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे उस समय इस पर सबसे अधिक काम हुआ था। उससे पहले के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनमें चाहे चौधरी भजन लाल जी हों या चौधरी बंसी लाल जी हों वे भी इस बात को मानते थे। जिस समय चौधरी बंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यहां सदन में 19 दिसम्बर, 1991 को यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष महोदय, यह बात हम सभी को माननी पड़ेगी कि एस.वाई.एल. नहर पर ज्यादा काम 1987

के बाद की सरकार ने किया है। उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि मेरी चौधरी देवी लाल जी या उनकी पार्टी से कोई मौहब्बत है लेकिन उनकी सरकार में इस नहर पर सबसे ज्यादा काम हुआ है। चौधरी देवी लाल जी इस नहर के निर्माण को लेकर बहुत गम्भीर थे कि हरियाणा प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए तथा इसके लिए यह कैनाल बननी चाहिए और उनके समय में यह नहर बनी भी थी। उसके बाद एस.वाई.एल. नहर पर जो अगला मामला आया वह 15 जनवरी, 2002 को आया और उस समय चौधरी ओमप्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा था कि एक वर्ष में एस.वाई.एल. नहर का निर्माण पंजाब सरकार करे। पंजाब सरकार ने उस एक साल में एस.वाई.एल. नहर पर कोई काम नहीं किया बल्कि 4 जून, 2004 में जिस समय पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कैप्टन अमरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री थे उन्होंने स्पेशल सत्र बुला कर जितने भी पानी के समझौते थे उनको टर्मिनेट कर दिया तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने से भी इन्कार कर दिया। पंजाब के साथ हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली की जितनी भी जल संधि थी उनको उस एक्ट के तहत टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद फिर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। उसके बाद पंजाब सरकार ने यह बिल गर्वनर के पास भेज दिया तथा गर्वनर ने वह बिल राष्ट्रपति के पास भेज दिया था राष्ट्रपति ने वह बिल सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया कि इस पर सुप्रीम कोर्ट हमें बताये कि इस पर हमें क्या फैसला करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवम्बर, 2016 को दोबारा फैसला सुनाया और अपने फैसले में कहा कि केन्द्र सरकार एस.वाई.एल. नहर का निर्माण करे तथा हरियाणा को उसके हिस्से का पानी इस नहर के माध्यम से दिया जाये। जिस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस समय केन्द्र और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी तथा उस समय मैं नेता प्रतिपक्ष था। जब यह सर्वदलीय मीटिंग बुलाई उसमें इस बात को लेकर फैसला हुआ था कि हम सभी दलों के विधायक पहले राष्ट्रपति जी से मिलेंगे और राष्ट्रपति जी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांगूंगा तथा इस नहर के निर्माण के लिए हम सभी मिल कर प्रधानमंत्री जी से समय लेकर तथा राजनीति से ऊपर उठ कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हैरानी की बात यह है कि आज उन बातों को छः वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है। क्या मुख्यमंत्री

जी ने अब तक एक बार भी प्रधानमंत्री जी से मिलकर एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के संबंध में बात करने का प्रयास किया है? अगर आप प्रधानमंत्री जी से इस संबंध में मिले हैं तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? आपने एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के संबंध में क्या–क्या प्रयास किये उसके बारे में आपने आज हाऊस में बताना चाहिए। आप आज जो ये प्रस्ताव लेकर आए हैं हम सब आपके इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं लेकिन जो सच्चाई है उसका जिक्र हाऊस में जरूर होना चाहिए। अगर आपने प्रयास किये होते तो अब तक इस एस. वाई.एल. नहर का निर्माण हो जाना चाहिए था और हमें हमारे हिस्से का पानी मिल जाना चाहिए था लेकिन सरकार ने इस संबंध में प्रयास नहीं किये। सरकार ने तो इस इशू को लटकाया है। इसके अलावा यहां बी.बी.एम.बी. के ऊपर भी चर्चा हुई है।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप थोड़ा समय का ध्यान रखिये।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं क्योंकि यह कोई खास विषय नहीं है। अगर आपको कोई ठीक बात अच्छी नहीं लग रही है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, बात तो सभी ठीक ही करते हैं। जो भी सदस्य बोलता है वह ठीक ही बोलता है लेकिन समय की भी सीमा होती है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज बहुत बड़ा इशू है और आज के इशू में समय सीमा नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज जो बात है उसकी चर्चा हाऊस में करनी चाहिए। मैं कोई गलत बात थोड़ी ही कह रहा हूं। जो सच्चाई है उसको तो हाऊस में कहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप अपनी बात को खत्म कीजिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज हाऊस में मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव पढ़ा है उसके ऊपर मैं चर्चा तो करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप चर्चा कीजिए लेकिन समय का ध्यान रखिये।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बी.बी.एम.बी. पर जो बात चली है उसके ऊपर मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा कि जिस दिन इस विषय पर केन्द्र की सरकार ने फैसला किया था उस समय हमारी सरकार की तरफ से रि–एक्शन क्यों नहीं आया उस पर सरकार का रि–एक्शन आना चाहिए था जबकि पंजाब की सरकार और बाकी पोलिटिकल पार्टियों की तरफ से उस पर

रि–एक्शन आया था लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से न किसी अखबार में, न सोशल मिडिया में, न किसी इलैक्ट्रोनिक चैनल पर कोई रि–एक्शन या विरोध नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, हमने इस संबंध में डी.ओ. लैटर लिखे हुए हैं जोकि रिकॉर्ड में है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई पत्राचार किया है तो आप उसकी क्लिप दिखा दें। ये चीज रिकॉर्ड में होनी चाहिए। अगर आपने इस संबंध में केन्द्र सरकार को कोई चिट्ठी लिखी है तो वह भी दिखा दें। अगर सरकार प्रदेश के मामले में सीरियस होती तो जैसे ही बी.बी.एम.बी. के ऊपर केन्द्र सरकार का फैसला आया तो उसी वक्त सरकार का हर हालत में तुरंत रि–एक्शन आना चाहिए था। यह तो जब पंजाब में इस तरह के प्रस्ताव पास कर दिये गये उसके बाद जब हरियाणा में इस बात पर चर्चा शुरू होने लगी तो केन्द्र सरकार ने अपना स्टैप डाउन कर लिया। इसी वजह से सरकार आज यह रेजोज्यूशन ले आई ऑदरवाईज तो आज इस पर भी चर्चा नहीं होनी थी। इसके अलावा जो एस.वाई. एल. नहर का इशू है जिसको लेकर बारी–बारी चर्चा की गई कि हमें एस.वाई.एल. नहर के ऊपर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी बनवाने के लिए हमें केन्द्र की सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। अभी कांग्रेस पार्टी के साथी भी इस मुद्दे पर जोर–शोर से चर्चा कर रहे थे। मेरी बात शायद इनको भी बुरी लगेगी लेकिन मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा कि हमने तो हमारी सरकार के समय में इस मुद्दे पर सीरियसली काम किया था। हमने तो उस समय अपनी तरफ से बहुत प्रयास किये थे लेकिन चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने इस बात पर अब तो बहुत जोर लगाया कि हमें हमारे हिस्से का एस.वाई.एल. नहर का पानी मिलना चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर इस मुद्दे पर राजनीति शुरू कर देंगे तो इसमें कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं बता देता हूं कि इन्होंने उस समय क्या किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप अपनी बात को खत्म कीजिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म ही कर रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी दस वर्ष तक इस मुद्दे पर कोई प्रयास नहीं किये और आपकी सरकार ने भी सात वर्ष तक इस मुद्दे पर कोई प्रयास नहीं

किये। आज सरकार यह प्रस्ताव लेकर आई है तो हमारी पार्टी इस प्रस्ताव का समर्थन करती है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव के संबंध में जो भी फैसला लेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे बल्कि आपसे एक कदम आगे चलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि आप सीरियसली इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अभय जी ने जो बात अभी कही थी, मैं उसमें कुछ क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। कभी तो यह कह देते हैं प्रेजिडेंशियल रैफरेंस के लिए केस को गवर्नर के पास भेजा गया, कभी कहते हैं कि प्रेजिडेंशियल रैफरेंस के लिए केस राष्ट्रपति के पास भेजा। इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं होता है। अगर माननीय सदस्य को कोई जानकारी नहीं है तो उस विषय की गलत स्टेटमैंट सदन में नहीं दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्रेजिडेंशियल रैफरैंस के लिए जब केस गया तो राष्ट्रपति ने इसको सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एस.वाई.एल. नहर का खुदाई कार्य सैंट्रल एजेंसी सी.पी.डब्ल्यू.डी. को दिया जाये । जब यह कार्य सैंट्रल एजेंसी को दिया गया तो इसके बाद पंजाब वालों ने वाटर एग्रीमैंट को एब्रोगेट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जब हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिले थे तब जाकर प्रेजिडेंशियल रैफरेंस के लिए केस आगे बढ़ा। हमने हर महीने और लगातार एस.वाई.एल. नहर के लिए लड़ाई लड़ी तभी जाकर प्रेजिडेंशियल रैफरेंस के संदर्भ में फैसला आया है।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, यह जो आज सदन में प्रस्ताव लेकर आया गया है, मैं इसके समर्थन में खड़ी हुई हूँ। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक नई सरकार पंजाब में बनकर आती है और इस सरकार ने लोगों से जो वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा करने की बजाय, उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव पंजाब असेंबली में पास किया है जोकि पूरी तरह से केवल मात्र एक पोलिटिकल पोस्चरिंग ही है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है और इसके माध्यम से केवल और केवल जनता का ध्यान भटकाने का ही काम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज कितने ही सारे मुद्दे हैं, जिन पर काम करने की जरूरत है। आज महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है तथा और भी न जाने कितने ही मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती थी लेकिन पंजाब सरकार ऐसे मुद्दों को दरकिनार करते हुए जो यह प्रस्ताव लेकर आई है, मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय,

सच्चाई यह है कि जब से हरियाणा और पंजाब अलग–अलग हुए हैं, पंजाब ने हमेशा से ही हरियाणा के साथ सौतेला बर्ताव करने का काम किया है। मैं समझती हूँ कि अब समय आ गया है और ऐसे समय में केवल मात्र प्रस्ताव पास करके सैंटर को भेजने से बात नहीं बनेगी बल्कि हमें पंजाब को आंख दिखानी पड़ेगी। अगर हम आंख दिखाने लायक नहीं रहे तो पंजाब वाले आगे भी इसी तरह से ध्यान भटकाने वाली बातें करते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, चाहे हाई कार्ट का मसला हो या चाहे दूसरे मसले हो, हमारे साथ जो 60 और 40 का अनुपातिक बंटवारा किया गया है, उसके हिसाब से भी हमारे को पूरा हिस्सा नहीं मिलता है। न ही होई कोर्ट के अंदर इस अनुपात के हिसाब से हमारे सीनियर एडवोकेट्स को जो डेजिगनेशन मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। अध्यक्ष महोदय, आपने तो खुद ही इस विषय को बड़े जबरदस्त तरीके से टेकअप करने का काम किया है। आपने तो खुद ही बताया है कि विधान सभा परिसर के अंदर भी केवल मात्र 27 परसेंट हिस्सा हरियाणा के पास है और आप हरियाणा का पूरा हिस्सा लेने के लिए पूरी कोशिश कर भी रहे हैं। सैक्रेटेरियेट में जहां 9 फ्लोर हैं, वहां पर दो–अढ़ाई फ्लोर पंजाब के पास एक्स्ट्रा हैं। अब समय आ गया है कि हम भी बड़े एग्रेसिव होकर अपने हक की बात करें। मैं इस संदर्भ में एक मिसाल देना चाहती हूँ और वह यह है कि जब चौधरी बंसी लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस समय पंजाब के साथ विवाद चल रहा था। पंजाब ने कहा कि वे हरियाणा से चंडीगढ़ तक, हरियाणा वालों को नहीं आने देंगे क्योंकि अम्बाला से आगे लालडू और डेराबस्सी का कुछ पंजाब का हिस्सा लगता है। सदन के सब सदस्यों को इस बात के बारे में मालूम भी होगा। चौधरी बंसी लाल जी ने रातों रात पंचकुला से एक अलग सड़क बनाई और पंजाब को आंख दिखाते हुए कहा था कि अब हम दिखाते हैं कि हरियाणा वाले चंड़ीगढ़ कैसे नहीं आयेंगे और देखूंगा कि पंजाब वाले जो हैं वे दिल्ली कैसे पहुंचते हैं ? अध्यक्ष महोदय, काम करने के तरीके होते हैं। आज एस.वाई.एल. नहर का मसला हमारे प्रदेश के लिए किसी जीवनदायिनी से कम नहीं है। यह हमारी जीवन रेखा है और खासकर दक्षिण हरियाणा के वे किसान जो पूरी तरह प्यासे हैं, उनके लिए यह नहर किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। आज सतलुज–यमुना लिंक नहर का मसला हमारे जीवन का मसला है अर्थात् हमारी जीवन रेखा है। आज खासतौर से दक्षिण हरियाणा का हमारा किसान प्यासा है। उनके खेतों में पानी नहीं है लेकिन उनकी आंखों में जरूर पानी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल एक बात सदन

में कहना चाहती हूँ और यह मेरा सुझाव भी है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 में इस संबंध में हमारे हक में फैसला दे दिया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं उसके बारे में पैरवी की कि उस ऑर्डर को क्यों अब तक लागू नहीं किया जा रहा है। इस तरह की कार्यवाही सरकार को जरूर करनी चाहिए थी। आज सात साल के करीब बीत गये लेकिन सरकार ने कोई भी कार्यवाही इस संबंध में आगे नहीं बढ़ाई। एक समय इस संबंध में एक डेलीगेशन की बात हुई थी और मैं उस समय विधायक दल की नेता हुआ करती थी, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्री अभय सिंह चौटाला और सभी माननीय सदस्यों की माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ यह बात तय हुई थी कि इस मुद्दे को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जायेंगे। आज भी हम सभी सरकार के साथ और इस समर्थन में हैं। सतलुज–यमुना लिंक नहर हमारी जीवन रेखा है और इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब प्रदेश के हित की बात होती है तो हम सभी को इक्ट्ठा होना चाहिये और पुरजोर कार्यवाही करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, एक समय वो था और आज तक न तो इस संबंध में कोई भी कार्यवाही आगे बढ़ी है और न ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय से इस संबंध में टाइम लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, सच्ची बात तो यह है कि हमें इस मुद्दे को बहुत संगीनता के साथ लेना पड़ेगा तभी यह मामला सॉल्व होगा। मैं तो यह कहती हूँ कि हमें केन्द्र सरकार को चाहे यह कहना पड़े कि आप पैरा मिलिट्री फोर्सिज लगाइये या फिर कोई भी एजेंसिज या संबंधित डिपार्टमैंट्स लगाइये हमें केवल यह सतलुज–यमुना लिंक नहर बनवा कर दीजिये। कानून के प्रावधान के अनुसार काम होना चाहिए नहीं तो पंजाब के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही सोचा था कि अगर दक्षिण हरियाणा को सिंचित करना है तो इसके लिये अलग से नहर का प्रावधान करना पड़ेगा। हरियाणा प्रदेश के लिये उन्होंने अनेक नहरों का निर्माण करवाया, सड़कें इत्यादि बनवाई, जिससे आज हरियाणा अव्वल नम्बर पर आता है। सतलुज–यमुना लिंक नहर बनवाने का मकसद भी यही था कि दक्षिण हरियाणा के सारे इलाके पूरी तरह से सिंचित हो जाये। अध्यक्ष महोदय, मुझे स्व0 चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी बताया करते थे कि उस समय सारे के सारे ग्राम सरपंचों को बसों के अंदर बैठाकर ले जाया करते थे जहां पर इस नहर का निर्माण हो चुका था और आगे होने वाला था उन्हें उस स्थान को दिखाया जाता था। मैं कोई राजनीति की

बात सदन में नहीं करूँगी लेकिन यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार ने इस संबंध में कोई भी काम आगे बढ़ाने का नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहती हूँ कि इस सरकारी संकल्प में अमैंडमैंट लाया जाया कि सतलुज–यमुना लिंक नहर के संबंध में भी एक टाइम फ्रेम के अंदर पूरी जानकारी मिलनी चाहिये ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसका फायदा मिल सके। हम विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण इस एस.वाई.एल. मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ खड़े हैं और इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चाहिये कि वे सभी को साथ लेकर माननीय प्रधानमंत्री के पास जायें और जल्दी से जल्दी इस गंभीर मसले को सॉल्व करवायें। यह हरियाणा के हितों के बात है और इस संबंध में पूरा एक प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास जाने को तैयार भी है। दूसरा इशू यह है कि जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमैंट बोर्ड के रूल्ज बनायें हैं, उसके बारे में हमें केन्द्र सरकार को लिखकर कहना चाहिये कि तुरंत प्रभाव से इनको विदड्रा किया जाये। हमें यह नही सोचना चाहिए कि जब हमारा इस संबंध में फैसला होगा तब देखेंगे, इस तरह से बात नहीं बनने वाली है। इन नये रूल्ज के अनुसार भाखड़ा ब्यास मैनेजमैंट बोर्ड से पंजाब और हरियाणा का अधिकार छीना जा रहा है। मेरा हिन्दी भाषी क्षेत्र के बारे में यह कहना है कि उस समय अबोहर फाजिल्का की बात की गई थी, लेकिन वह भी मैंशन नहीं की गई। चण्डीगढ़ पर हमारा हक है। चण्डीगढ़ के संबंध में पंजाब स्टेट चाहे एक नहीं दस सरकारी संकल्प अपने विधान सभा में लेकर आ जायें, लेकिन इनके कहने और पास करने से चण्डीगढ़ पंजाब को नहीं मिलने वाला है। यह मुद्दा केवल और केवल राजनीति के तौर पर भुनाया गया है ताकि पब्लिक में इस बात का केवल इशू बनाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मैंने माननीय उच्च न्यायालय के संबंध में तो बात कह दी है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अब आप सम अप कीजिए ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात अब खत्म कर रही हूं । बातें आई हैं कि पंजाब ने यह किया और हरियाणा ने यह किया । इस पर मेरा कहना है कि अब हमको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे । इस बार हमको उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा ताकि पंजाब को पता चल जाए कि अगर वह हरियाणा के अहित में कोई काम करेगा तो हरियाणा भी चुपचाप बैठने वाला नहीं है और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा । इसके अलावा मैंने यह बात शुरू में ही कह दी थी

कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा के हित में जो रेजोल्यूशन लेकर आये हैं मैं उसका समर्थन करती हूं । हम आगे भी हरियाणा के हित के कार्यों में बढ़–चढ़कर भाग लेंगे । धन्यवाद ।

श्री बलराज कुण्डू (महम) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय, आज सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो प्रस्ताव लेकर आये हैं मैं उसका समर्थन करता हूं । कुछ विषयों को मैं सदन में रखना चाहता हूं । आज हरियाणा प्रदेश को बने हुए 56 साल हो चुके हैं और अनेक विषय जैसे राजधानी चण्डीगढ़ का विषय, एस. वाई.एल. नहर का विषय, अलग हाई कोर्ट का विषय, चण्डीगढ़ में हरियाणा के ऑफिसर्स की डेप्युटेशन पर नियुक्ति का विषय, हिन्दी भाषी क्षेत्रों का हरियाणा को दिये जाने का विषय, हरियाणा विधान सभा में कमरों के बंटवारे का विषय, पंजाब युनिवर्सिटी में हमारे राइट का विषय बहुत गम्भीर हैं । मुझसे पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने आयोग के बनने और उसके आगे की कार्यवाही के बारे में विस्तार से बताया है । मैं देख रहा हूं कि हरियाणा बनने के बाद जो लोग हरियाणा के सी.एम. बने आज वे स्वयं या उनके परिवार के सदस्य इस सदन में बैठे हुए हैं । मैंने पिछले 20 साल का मोटा–मोटा रिकॉर्ड देखा तो पाया कि वर्ष 2014–2017 के दौरान केन्द्र में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार और पंजाब में अकाली दल और भाजपा की गठबंधन सरकार थी । इससे पहले वर्ष 2004–2007 के दौरान केन्द्र में कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी । उससे पहले वर्ष 1999–2004 तक केन्द्र में भाजपा की गठबंधन सरकार थी जिसमें अकाली दल और लोकदल भी भागीदार थे । उस समय हरियाणा में लोकदल की सरकार थी और पंजाब में अकाली दल की सरकार थी । इससे पहले केंद्र, हरियाणा और पंजाब में तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी । मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने कहा कि इस विषय पर राजनीति हो रही है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र, हरियाणा और पंजाब में तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार थी तो उस समय इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया गया ? मुझे तो यही समझ में आता है कि जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो वह सत्ता सुख में सारी चीजों को भूल जाती है । जब वही पार्टी सत्ता में नहीं होती तो उसको राजधानी चण्डीगढ़, एस.वाई.एल. नहर और अन्य सभी मुद्दे याद आ जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि लोगों की भावनाओं के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा ? एक आंदोलन ने हरियाणा और पंजाब के भाईचारे को

बढ़ाने का काम किया है । पंजाब सरकार जो प्रस्ताव सदन में लेकर आई है उससे उसने हरियाणा और पंजाब के भाईचारे को तोड़ने और असली विषय से ध्यान भटकाने का काम किया है । मेरा प्रश्न है कि क्या हम भी वही काम करेंगे ? वर्ष 2016 में जब केन्द्र और हरियाणा में भाजपा की सरकार थी और पंजाब में अकाली दल की सरकार थी तथा उस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था तो उस पर आज तक एक्शन क्यों नहीं हुआ ? यह एक विचारणीय विषय है । मुझे सिवाय राजनीति करने के कोई भी पार्टी इस विषय पर सीरियश नजर नहीं आती । यह एक राजनीतिक एजेंडा है और पिछले 56 सालों से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । वर्ष 1965 में आयोग बना था और वर्ष 1966 में हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय प्रदेश के विषय में सारी चीजें तय हुई थी । मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक वे विषय क्लीयर क्यों नहीं हो पाए ? इस विषय पर चिंता करने की जरूरत है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे केन्द्र सरकार से आग्रह करें कि ऐसा कोई निर्णय नहीं आना चाहिए जिससे प्रदेश के हितों और प्रदेश के लोगों की भावनाओं को कोई ठेस पहुंचे । मुझसे पूर्व बोलने वाले कई वक्ता कह रहे थे कि इसके लिए हमें आरपार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और फलां काम करना पड़ेगा तो मेरा कहना है कि हमें ऐसा माहौल नहीं चाहिए । हमें हरियाणा और पंजाब का भाईचारा बरकरार रखना है । हरियाणा और पंजाब दोनों प्रदेश एक ही देश के दो प्रदेश हैं । इन दोनों राज्यों में कोई ऐसी बात पैदा नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे बीच में कोई खटास या आपसी द्वेष की भावना पैदा हो। हमें संबंधित विषय को आपसी भाईचारे के साथ निपटाकर क्लोज करना चाहिए। देश की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए मामले का समाधान करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और पूरे दिल से इसके साथ खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सरकारी संकल्प पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

13:00 बजे

श्री कुलदीप बिश्नोई (आदमपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत ही गम्भीर मुद्दे पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, मेरी एक विषय से संबंधित बात रखनी रह गयी है, इसलिए मुझे अपनी बात रखने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि

ऐसा ही एक भाईचारा खराब करने का विषय खेड़ी चौपटा गांव से संबंधित है। मैंने उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उस विषय को जल्दी शॉर्ट आउट करवाएं क्योंकि वह भी भाईचारा खराब करने वाला विषय है।

श्री कुलदीप बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, आज सदन के नेता एक रैजोल्यूशन लेकर आये हैं और मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बैठा हुआ सोच रहा था कि इसमें कहां से बात शुरू करनी चाहिए ? मुझे माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद जी ने बताया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने आदेश दिया है कि मुझे भी संबंधित विषय पर अपनी बात रखनी चाहिए। चूंकि मेरी इस विषय पर बोलने की इच्छा भी थी। अभी इस विषय पर माननीय सदस्य श्री बलराज कुंडू जी ने एक लाईन बोली थी कि बड़े राजनीतिक परिवारों के सदस्य बहुत लम्बे समय से सदन के माननीय सदस्य हैं, परन्तु उन परिवारों ने कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की भी निन्दा करता हूं। मैं इस विषय के बारे में सन् 1982 से बताना चाहूंगा। चूंकि मुझे इस विषय पर बोलने के लिए लाईन भी मिल गयी है। सदन में कुछ माननीय सदस्यगण नये चुनकर भी आये हैं, इसलिए सभी माननीय सदस्यों को पता चल जाएगा कि एस.वाई.एल. नहर के निर्माण और चण्डीगढ को हरियाणा प्रदेश की राजधानी बनाये रखने में किसका कितना– कितना योगदान रहा है ? इस विषय पर माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी ने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जिक्र किया है और माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी ने स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी का जिक्र किया है। सन् 1982 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उस समय स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री थे। श्री दरबारा जी पंजाब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री थे। सन् 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने एस.वाई.एल. नहर की नींव पंजाब प्रदेश के कपूरी गांव में जाकर रखवायी थी। यह रिकार्ड की बात है। इसके बाद एस.वाई. एल. का निर्माण कार्य बहुत बढ़िया ढंग से चला। इससे पहले सन् 1979 में हरियाणा सरकार माननीय कोर्ट में गयी थी कि उनकों एस.वाई.एल. नहर पानी नहीं मिल रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने एस.वाई.एल. नहर का निर्माण कार्य शुरू करवाया और वह निर्माण कार्य सन् 1986 तक बहुत बढ़िया ढंग से चला। लेकिन सन् 1986 में ही पंजाब राज्य में उग्रवाद बढ़ गया और इरीगेशन

विभाग के अधिकारी को उग्रवादियों ने मार दिया। इसकी वजह से वहां पर काम रूक गया और अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यह बात सही है कि यह मुद्दा सन् 1982 से लेकर वर्ष 2022 तक 40 सालों से चला आ रहा है। पिछले 36 सालों से संबंधित काम रूका हुआ है। इस दौरान बहुत से आयोग बनाये गये जिसमें राजीव लोंगोवाल एकोर्ड के अलावा दूसरे बहुत से आयोग भी बनाये गये। इन सभी आयोगों के फैसलों के साथ– साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हरियाणा प्रदेश के हक में ही आया है। लेकिन जो काम तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी अधूरा छोड़कर गये थे, वह काम अभी भी वहीं पर रूका हुआ है। इसमें कहीं न कहीं हम सभी की कमजोरियां रही हैं और इसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं। मैं चौथी बार इस विधान सभा में सदस्य चुनकर आया हूं और दो बार लोकसभा का सदस्य भी रह चुका हूं। इस काम को पूरा नहीं करवाने के पीछे हम सबकी कमजोरियां रही हैं। लेकिन मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि एस.वाई. एल. नहर के निर्माण में सबसे अहम और सबसे ज्यादा योगदान स्वर्गीय पूर्व माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी का रहा है। इसमें मैं किसी को बुरा– भला नहीं कह रहा हूं और न ही ब्लेम गेम खेल रहा हूं। इसके लिए जब किसी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा तो वह स्वर्गीय पूर्व माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी का नाम लिखा जाएगा। माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी कह रहे थे कि सन् 1985 में सारे एकोर्ड गलत हुए हैं और उनमें हरियाणा प्रदेश के साथ कभी सही नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले बोला था कि राजीव लोंगोवाल एकोर्ड लागू होना चाहिए। यह एक डिफरैंस सत्तापक्ष पार्टी के अन्दर आया है। राजीव लोंगोवाल एकोर्ड एक बहुत दूरदर्शी सोच स्वर्गीय पूर्व माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी की थी। वे चाहते थे कि हमारी प्यासी बंजर भूमि को पानी मिले। पहले भी बहुत से किसान कर्जदार थे और बाद में भी बहुत से किसान कर्जदार हुए हैं, इसलिए अगर उनको एस.वाई.एल. नहर से पर्याप्त पानी मिलेगा तो जरनेटर्ज कम चलाने पड़ेंगे और मोटर्ज इत्यादि कम चलानी पड़ेंगी। इससे उनकी खेती में खर्चे कम लगेंगे तो उनके कर्जे भी कम होंगे। इससे उनका जीवन यापन अच्छी तरह से होगा। स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी की यह सोच थी कि हमारे प्रदेश के किसानों को पानी मिले। हमें बिल्डिंग्ज का क्या करना है क्योंकि बिल्डिंग्ज तो कहीं ओर भी बना सकते हैं। मैं इस बात पर माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का समर्थन करता हूं कि अगर चण्डीगढ को

पंजाब राज्य को देना है तो बशर्ते हमारे प्रदेश को बढ़े हुए पानी का हिस्सा दिया जाए। जोकि स्वर्गीय पूर्व माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी ने एकोर्ड में बढवाया था। हमें हमारे हरियाणा प्रदेश के बढे हुए पानी का हिस्सा मिले और हिन्दी स्पीकिंग विलेजिज भी मिलें। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने उस वक्त यह भी फैसला किया था कि हरियाणा प्रदेश में जो नयी राजधानी बनेगी, उसका सारा का सारा खर्चा केन्द्र सरकार उठाएगी। यह बात ठीक है क्योंकि हमें किसानों के हित भी देखने हैं। हमें केवल बिल्डिंग्ज ही नहीं देखनी हैं क्योंकि बिल्डिंग्ज तो हम कहीं पर भी बना सकते हैं। इसमें स्वर्गीय पूर्व माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी की एक दूरदर्शी सोच थी, लेकिन वह फैसला इम्पलीमैंट नहीं हुआ। जुलाई, 1985 में राजीव लोंगोवाल एकोर्ड हुआ और यह कहा गया कि इसको जनवरी, 1986 तक लागू किया जाएगा, लेकिन उसको जनवरी, 1986 तक लागू नहीं किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने जनवरी में कहा था कि हम चंडीगढ़ में झंडा लहरायेगें तो उस वक्त चौधरी भजन लाल जी ने चेलैंज किया था कि चंडीगढ़ में हरियाणा भी झंडा लहरायेगा। मुझे आज भी याद है कि चौधरी भजन लाल जी आये और 26 जनवरी को सी.एम. हाउस में चेलैंज करके झंडा लहराया गया था तब चंडीगढ़ को पंजाब में जाने से रोका गया था। अध्यक्ष महोदय, जून, 1986 में चौधरी भजन लाल जी पर दबाव बनाया गया था कि आप अपनी जिद छोड़ दीजिए और चंडीगढ़ को पंजाब में जाने दीजिए और हम एस.वाई.एल. कैनाल का मामला लम्बित करते हैं। उन्होंने चौधरी भजन लाल जी को यह भी कहा कि आप ये डेरा बस्सी, लालड़ू और नया गांव वाले जो एरियाज हैं उनको आप ले लीजिए और चंडीगढ़ को छोड़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है कि कोई आदमी गांव की सरपंची नहीं छोड़ता है परन्तु चौधरी भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री पद पर लात मारकर रिजाइन दिया था कि मेरी कलम से चंडीगढ़ को मैं पंजाब को नहीं जाने दूंगा इसलिए मैं हमारे साथी विधायकों को इतिहास के बारे में समझा रहा था। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के सभी नेताओं ने चाहे वह चौधरी भजन लाल जी हों, चाहे वह चौधरी बंसी लाल जी हों और चाहे वह चौधरी देवी लाल जी हों। इन्होंने अपने–अपने ढंग से प्रयास भी किये थे लेकिन अभी तक व्यवहारिक रूप से नहीं हुआ है यह हमारे लिए बहुत ही चिंतन और चिंता की बात है। आज मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से कहना चाहता हूं कि आप सदन के नेता हैं और इनकी सरकार केन्द्र में भी है और इनकी सरकार हरियाणा प्रदेश में भी है। पंजाब में तो एक कॉमेडियन को चीफ

मिनिस्टर बना दिया जो एक हैबिचुअल ड्रिंकर है और एक हैबिचुअल ऑफैंडर है। वह अपनी बात को खुद भी सीरियसली से नहीं लेता है तो हम क्यों उसकी बात को सीरियसली से लें लेकिन वह जिस प्लेटफार्म पर बोलें हैं और उसने सदन के अंदर रैजोल्यूशन पास किया है। वह एक सीरियस इशू है। मैं उसकी निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि इतिहास बनाईये कि पहली बार किसी विधान सभा का इतिहास होगा कि सारा का सारा सदन उनके साथ राष्ट्रपति को मिलने जाने को तैयार है **(इस समय मेजेंथपथपाई गईं।)** सदन के सभी 90 के 90 सदस्य मुख्यमंत्री जी के साथ हैं इसलिए टैंशन नहीं लेनी है बल्कि टैंशन देनी है। आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आज जो मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है। मैं इस प्रस्ताव का भरपूर समर्थन करके प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं। मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि information is knowledge and knowledge is power. हमारे सभी साथियों को पीछे के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। मैं चंडीगढ़ में वर्ष 1963 से वर्ष 1967 तक स्टूडैंट था। उस समय चंडीगढ़ में पंजाब विधान सभा भी थी। मैंने पंजाब विधान सभा में लास्ट प्रस्ताव पास होते भी देखा था। जिस दिन पंजाब और हरियाणा अलग–अलग हुए थे, वह पंजाब विधान सभा का आखिरी विधान सभा सत्र था। जब पंजाब और हरियाणा प्रदेश अलग–अलग हुए थे, उस समय पंजाब प्रांत के ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर और हरियाणा प्रदेश के पंडित भगवत दयाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने थे। मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में पंजाब प्रांत में बहुत आंदोलन हुए थे। वर्ष 1962 का वह समय था, जब मास्टर तारा सिंह का प्रभाव कम हो रहा था और संत फतेह सिंह का प्रभाव बढ़ रहा था। उस वक्त पंजाब का सैंट्रल गवर्नमैंट पर बड़ा दबाव होता था। उस वक्त संत फतेह सिंह ने एक आंदोलन की धमकी दी थी और उन्होंने सैल्फ मोल्यूशन की बात भी की थी। उस वक्त सैंट्रल गवर्नमैंट के हाथ पांव फूल गये थे। मैं यहां पर आज सरकारों की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं हाउस के इस माहौल को बिगड़ने नहीं देना चाहता। हमें बात वह करनी चाहिए जो एक राय से प्रस्ताव पास हो। उस वक्त सैंट्रल गवर्नमैंट बहुत कमजोर था और संत फतेह सिंह के दबाव में सैंट्रल गवर्नमैंट दब गई थी। तब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग–अलग करने का फैसला हुआ था। जहां तक मेरी जानकारी में है कि

उस वक्त हमारे पंजाब विधान सभा में लगभग 42 मैम्बर्ज हुआ करते थे। उसके बाद अगला चुनाव हुआ था। अध्यक्ष महोदय, जब शाह कमीशन का फैसला आया था, उसमें चंडीगढ़ और खरड़ तहसील हरियाणा को दी गई थी। इसके बाद एक लेग्विस्टिक बेसिस पर एक सेंसस हुआ था। उसमें भी चंडीगढ़ के लोगों ने हरियाणा के लिए ऑप्शन दिया था। उन्होंने पंजाब के लिए ऑप्शन नहीं दिया था। अब पंजाब की वर्तमान सरकार चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पास कर रही है कि चंडीगढ़ हमारा है तो मैं समझता हूं कि यह असंवैधानिक है। इसका कोई मतलब नहीं है। वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और सभी छोटी–बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों का उसमें विलय हो गया था। हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवी लाल जी मुख्यमंत्री जी थे और डॉ. मंगल सेन जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और पंजाब प्रांत में सरदार प्रकाश सिंह बादल जी मुख्यमंत्री बने थे। अभी श्री कुलदीप सिंह जी डॉक्यूमैंट की बात कर रहे थे मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि उस समय एक करोड़ की राशि बहुत बड़ी होती थी चौधरी देवी लाल जी और डॉ. मंगल सैन जी ने प्रकाश सिंह बादल को एक करोड़ का चेक दिया था और कहा था कि एस.वाई.एल. कैनाल का निर्माण कार्य शुरू करवायें। ये सभी रिकार्ड की बातें हैं। इस प्रकार से उस समय एस.वाई.एल. कैनाल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसके बाद जब चण्डीगढ़ का मामला आया तो फिर एस.वाई.एल. कैनाल के पानी के मामले का दबाव पड़ा। उस समय चौधरी भजन लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उस समय उनको और संत फतेह सिंह दोनों को बुलाया गया था। उस समय जबरस्ती एस.वाई.एल. कैनाल का पानी पंजाब को दे दिया गया था। इसके खिलाफ उस समय एक आंदोलन चला था। उस समय चौधरी देवी लाल और डॉ. मंगल सैन की एक ही पार्टी थी। उस आंदोलन का यह परिणाम हुआ था कि उनके 85 एम.एल.ए. चुनकर आये थे और विपक्ष में केवल पांच ही एम.एल.ए. थे। इस प्रकार से पूरा प्रदेश चौधरी देवी लाल और डॉ. मंगल सैन के साथ खड़ा हो गया था। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विषय को कंट्रोवर्सी में न ले जाकर हम अबोहर–फाजिल्का के जिन 146 गांवों को हरियाणा को देने की शाह कमीशन की रिपोर्ट में चर्चा थी उनको हरियाणा को देने की मांग करें तो ज्यादा सही होगा। मेरा यह भी कहना है कि आज भी वहां की औरतों की ड्रैस हरियाणा और राजस्थान की औरतों जैसी ही है। वहां पर पंजाब की ड्रैस भी नहीं है और वहां पर पंजाब का कल्चर भी नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव को स्पोर्ट करते हुए यह कहना चाहूंगा कि सदन

से बाहर यह संदेश जाना चाहिए कि हम सभी ने एक राय से इस प्रस्ताव को पास किया है। हमें अपनी पर्सनल इगो को खत्म करके हमें एक राय से इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए। आज यह एक ऐसा डॉक्यूमैंट बनने जा रहा है जो हमारी आने वाली जैनरेशन के लिए होगा कि हरियाणा विधान सभा ने आपसी मतभेदों को भुलाकर यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया था। विधान सभा के सत्र और विधान सभायें तो आते–जाते रहेंगे लेकिन यहां पर आज यह एक विशेष डॉक्यूमैंट आने वाले जैनरेशन के लिए तैयार हो रहा है इसलिए हम सभी को एक राय से इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपकी भी यही राय थी कि असैम्बली में भी हमारा हिस्सा है और सैक्रेटेरिएट में भी हमारा हिस्सा है। मेरा भी यही कहना है कि अपना हक लेने से हमें पीछे हटने की कोई बात नहीं करनी चाहिए। मेरा बार–बार यही कहना है कि हम सभी को एक राय से इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए। यह सदन हमारा रहेगा और हम इसके रहेंगे। जार्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बात कही है कि अगर मुझे स्वर्ग में दो नम्बर का स्थान मिला तो मैं उसको ठोकर मार दूंगा और नरक में एक नम्बर का स्थान मिला तो उसको स्वीकार कर लूंगा और अगली सेना तैयार करके उस जगह जाकर कब्जा कर लूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पूरा सदन उनके साथ है वे हिम्मत करके अपनी लड़ाई लड़ें और हरियाणा के चण्डीगढ़ सहित जो–जो हक हैं उनको प्राप्त करें। मैं इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार के प्रस्ताव की निंदा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक) : स्पीकर सर, सर्वप्रथम इस विषय पर बोलने के लिए मुझे समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। सर, पंजाब की विधान सभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें तीन–चार प्वायंट्स को लिखा गया।

One is regarding Punjab Re-organisation Act, 1966, second is regarding Bhakra Beas Management Board and then Chandigarh के ऊपर उन्होंने अपना राईट पूरा असर्ट करने की कोशिश की और साथ में केन्द्र सरकार को चण्डीगढ़ के स्टॉफ के बारे में भी लिखा। Legally speaking, the Resolution passed by the Punjab Legislative Assembly on these points is a gimmick and it is a nightmare for Punjab. It is a political drama, which is being made by the Punjab in its Assembly otherwise also when it comes. Sir, I will refer the basic points regarding Punjab Re-organisation Act. This is very important

so far as when we interpret it legally also. This enactment was made by the Union of India. Section 3 of the Re-organisation Act refers in regard to formation of Haryana, Section 4 of this Act refers in regard to formation of Union Territory of Chandigarh and section 5 of this Act refers in regard to Transfer of territory from Punjab to Himachal Pradesh. इस एक्ट में एक बड़ी इम्पोर्टैंट बात है जिसको पंजाब गवर्नमैंट को समझना चाहिए। इस एक्ट का सैक्शन 2 (एम) यह डिफाईन करता है कि सक्सैसर स्टेट कौन होगी? इसमें यह नहीं कहा गया है कि पंजाब से अलग होकर दोनों स्टेट्स बनी। इस एक्ट का सैक्शन 2 (एम) यह कहता है कि–

"2 (m).- "Successor State", in relation to the existing State of Punjab, means the State of Punjab or Haryana, and includes also the Union in relation to the Union Territory of Chandigarh and the transferred territory."

As per this Section, we are also Successor State and Punjab is also Successor State. That's why Punjab cannot claim any right over Chandigarh. It has been declared Union Territory by the Central Government. Unless Central Government makes an enactment in Under Punjab Re-organisation Act, Then There can be some decision on Chandigarh.

इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वे राजनीतिक भावना से सबकुछ करते हैं तथा जब सक्सैसर स्टेट साथ में होती है तो एक स्टेट उसको क्लेम नहीं कर सकती है। इसी एक्ट में सैक्शन 78 और सैक्शन 79 हैं जिनका रेफरैंस माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है। Section 78 of this Act refers to Rights and liabilities in regard to Bhakra-Nangal and Beas projects and Section 79 refers to Bhakra Management Board. सैक्शन 79 में दिया हुआ है कि किस तरह से रिस्पैक्टिव स्टेट्स चाहे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान होगा और उनके नोमिनेट्स होंगे जिनको नोमिनेट किया जायेगा। केन्द्र सरकार ने जो इन्टरफेयर की है उसके बारे में I want to say that Rules cannot supersede the Act, this is the basic point. जब कानून यह कहता है कि हरियाणा का मैम्बर होगा यह बाद की एडजैस्टमैंट है कि हरियाणा का मैम्बर इरीगेशन का होगा और पंजाब का मैम्बर पॉवर का होगा तथा राजस्थान का

मैम्बर होगा। इसके अतिरिक्त हुड्डा साहब ने यह भी कहा है कि चेयरमैन इन स्टेट से बाहर का होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब एक्ट में प्रावधान है तो केन्द्र सरकार ने ये रूल्ज कहां से बना लिये? मैं इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट्स करना चाहूंगा कि he should take up this matter that how the rules can be framed against the Act by the Central Government which they have notified so far as the eligibility of the members is concerned. इसके इतिहास के बारे में सभी सदस्यों ने बता दिया है मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच Indus Water Treaty हुई थी। उस समय पंजाब बड़ा था और पंजाब को 7.20 एम.ए.एफ. पानी की अलॉटमैंट हुई थी। एस.वाई.एल. नहर की जो शुरूआत हुई it was during the regime of the Congress party. All the decision have been taken. 24 मार्च, 1976 को एक नोटिफिकेशन जारी हुई जिसके तहत उसमें से हरियाणा को 3.5 एम.ए.एफ. पानी अलॉट हुआ। उसके बाद से ही रावी–ब्यास के पानी को हरियाणा में पहुंचाने के लिए लिंक नहर का निर्माण शुरू हुआ। उसके बाद एक महत्वपूर्ण इवेंट आया। दिनांक 31.12.1981 को 3 राज्यों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों तथा साथ में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी थी, उन सभी ने एस.वाई.एल. नहर के कार्य को दोबारा से स्पीडअप करने के लिए आपस में एक एग्रीमैंट किया। उसमें भी हरियाणा का जो पानी का शेयर था वह 3.5 एम.ए.एफ. था। उसके बाद राजीव–लोंगोवाल एकोर्ड हुआ जिसको पंजाब सैटलमैंट कहते हैं। उसके बारे में सभी मैम्बर्ज ने बोला है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी क्लॉज–7 और क्लॉज 9 रैलीवेंट हैं। अब मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक वाइज स्टैप उठाया गया। वर्ष 1996 में एस.वाई.एल. नहर का और चण्डीगढ़ का हरियाणा के लिए कितना शेयर डिटरमिन होना चाहिए इस पर विचार हुआ। एस.वाई.एल. नहर खुदनी चाहिए उसमें हमारा पानी चलेगा। पंजाब की तरफ से यह बात भी आई कि इस तरह से तो हरियाणा अधिक पानी ले जायेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजरवायर वहां पर बनना है तथा वहां से आगे नहरें निकलनी हैं यह डिटरमिन हो जायेगा, यह इस बात के लिए superfluous objection है कि वहां पर बनेगा तो हरियाणा ज्यादा पानी लेकर जायेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो ऑरिजनल ज्यूरिस्डिक्शन बनती थी वह दावा 2002 में डिक्री हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट

ने जो कुछ भी किया है पंजाब ने हर स्टेज पर उसको नल्लीफाई करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003 में पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट की इसी ओरिजनल ज्यूरिस्डिक्शन के साथ suit file कर दिया और वर्ष 2004 में वह सूट डिसमिस हो गया। उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए पंजाब ने यह पैंतरा बदला और उस समय उन्होंने यह 'The Punjab Termination of Agreement Act, 2004' पास कर दिया। पंजाब तो हर स्टेज पर यह करता आ रहा है लेकिन हमें यह बात समझ नहीं आती कि हरियाणा किस बात की कमजोरी पकड़ता है। जबकि वर्ष 2016 में हरियाणा के फेवर में इतना बड़ा जजमैंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमैंट में बड़ा clear strong wording में हरियाणा के हक में लिखा है। पंजाब के हक में नहीं लिखा है लेकिन उस वर्ष 2002 की जजमैंट को एग्जीक्यूट करने में 6–7 साल लग गये। Although, we support the resolution which has been moved by the Hon'ble Chief Minister but also steps should be taken because you are in the Government here and in the Centre, the Government of BJP is also there. Why the Supreme Court says कि पहले यह चीज करो सब कुछ करके उसके बाद ये करो? इसके बाद पंजाब ने एक और अटैंप्ट किया कि एस.वाई.एल. नहर की जमीन को डिनोटिफाई कर दिया गया है। इस पर भी एक बिल आया और बिल किसी भी हालत में कभी एक्ट नहीं बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016 की जजमैंट के अन्दर Judgement में हमारे फेवर में जो रेफरैंस दिया था। जैसा कि हुड्डा साहब बता रहे थे हमारी सरकार के समय में प्रैजीडैंट ने 131 या 123 आर्टिकल में इसको आनसर करने के लिए भेजा था। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी इशू आता है तो हमें उस बात के लिए meticulously steps लेने चाहिए। धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता जो प्रस्ताव लेकर आए हैं उस पर लगभग सभी सदस्य एकमत हैं। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हम सभी सदस्य एकमत हैं इससे पहले भी जब भी हरियाणा के हितों की बात आई है तो इस हाऊस ने एकजुटता का परिचय दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार ने जो यह प्रस्ताव पास किया है उसकी मैं निन्दा करता हूं और इसमें मेरा यह भी मानना है कि उनके इस प्रस्ताव के पीछे कोई राजनीतिक षड़यंत्र है क्योंकि अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो पंजाब में अभी

चुनाव हुआ था। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत मान से जानना चाहूंगा कि पूरे चुनाव में कोई सिंगल आदमी भी ऐसा आया है जिसने यह डिमांड की हो कि जब आपकी सरकार बनेगी तो चण्डीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए। पंजाब के किसी एक व्यक्ति ने भी यह डिमांड नहीं की कि पंजाब को चण्डीगढ़ चाहिए लेकिन अब जरूरत क्यों पड़ी? अध्यक्ष महोदय, यह जरूरत पंजाब के लोगों की नहीं है। यह जरूरत पंजाब सरकार की है क्योंकि जब इन्होंने सरकार बनाई थी तो इनके द्वारा बहुत से वायदे किये गये थे लेकिन अब इनको लगा कि वे अपने वायदे तो पूरे कर ही नहीं सकते। जैसे इनके वायदे में लोगों को 24 घंटे बिजली देने और बिजली की 300 यूनिट फ्री देने की बात की गई थी। अब ये 24 घंटे बिजली और बिजली की 300 यूनिट फ्री कहां से देंगे। हर महिला को 1000 रुपये देने की बात की गई थी। अब ये हर महिला को कहां से 1000 रुपये देंगे। ये इस तरह के वायदे पूरे करने की बात कह रहे थे लेकिन अब पंजाब सरकार ये सारे वायदे पूरे करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है इसलिए लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि आप तो 1000 रुपये देने की बात कर रहे हैं हम तो पूरे चण्डीगढ़ को पंजाब में लेकर आने लग रहे हैं और उन्होंने चण्डीगढ़ को पंजाब में लेकर आने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं कि यह तो इनका पहला प्रस्ताव है। आप सोशल मीडिया को ध्यान से देखिये ये लोग आने वाले समय में बहुत सी ऐसी चीजें लेकर आएंगे जिससे पंजाब में अशांति पैदा होगी। ये लोगों का ध्यान डायवर्ट करके यह बताना चाहते हैं कि आप हमारे घोषणा पत्र को मत पढ़िये, हम दूसरी बात करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार जो यह प्रस्ताव लेकर आई है वह पूरी तरह से एक षड़यंत्र है जिसकी मैं निन्दा करता हूं। मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूँ कि एस.वाई.एल. नहर के पानी के संदर्भ में पंजाब सरकार कहती है कि उनके पास सरप्लस पानी नहीं है, इसलिए वे हरियाणा को पानी नहीं दे सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से पंजाब सरकार से कहना चाहूंगा कि हमने सरप्लस पानी की डिमांड कब की है। हम तो अपने अधिकार का पानी मांग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने से या पंजाब के कहने से कोई बात नहीं बनेगी, बात बनेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एस.वाई. एल. नहर के पानी पर हरियाणा का राइट है लेकिन पंजाब कहता है कि वह हरियाणा को सरप्लस पानी नहीं देगा। ऐसा करके एक तरह से षड़यंत्र करने की

ही कोशिश की जा रही है। जहां तक इस विधान सभा की बात है, यहां पर भी 60:40 का अनुपातिक शेयर है लेकिन हमारे पास मात्र 27 परसेंट शेयर है। ऐसा नहीं है कि यहां पर कमरे नहीं हैं या जगह नहीं है। अभी सारे कमरों को चैक करके देख लो यहां बहुत बड़ी संख्या में ऐसे कमरे हैं जहां पर टूटा फर्नीचर पड़ा हुआ है लेकिन वे कमरे हरियाणा को नहीं दिए जा रहे हैं। हांसी–बुटाना नहर है, यह हमारे क्षेत्र में है, सब कुछ हमारा है लेकिन पंजाब वाले स्टे लेकर आ गए कि हम इसको चलने नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के व्यवहार को किसी भी सूरत में अच्छा व्यवहार नहीं माना जा सकता है। मैं यह नहीं कहता कि पंजाब के लोगों का गलत व्यवहार है। निश्चित रूप से पंजाब के लोगों का बहुत बढ़िया व्यवहार है लेकिन पंजाब में जो भी सरकार चुनकर आती है, वह सरकार मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे–ऐसे प्रस्ताव लेकर आती है जिनका कोई सिर–पैर नहीं होता है। मैं एक कहावत कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा किः–

सावन का सूखा और भाई के साथ धोखा– हमेशा भट्ठा बिठा देता है

कहने का भाव यह है कि सावन में अगर सूखा पड़ जाये तो इसके बाद चाहे कितनी बारिश हो लेकिन पानी की पूर्ति नहीं हो सकती है, इसी प्रकार भाई के साथ अगर कोई धोखा करता है तो फिर चाहे कोई कितने ही पुण्य कमा ले, कितने लंगर लगा ले या कितना ही कुछ कर ले, लेकिन भगवान उसको कभी माफ नहीं करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो हमारे हिस्से का पानी है, उसे पंजाब को तुरंत देने का काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पंजाब की विधान सभा ने जो प्रस्ताव पास किया है, मैं उस प्रस्ताव की निदां करता हूँ और माननीय सदन के नेता ने आज सदन में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री सोमबीर सांगवान (दादरी): अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार के प्रस्ताव के विरोध में जो यह सरकार प्रस्ताव लेकर आई है, उसके विषय में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, पानी के बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बना था। इससे पहले पानी के बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए कोई अपील नहीं होती थी। पानी के बंटवारे के लिए जो पिछला समझौता हुआ था, उसके इंप्लीमैंट न होने की वजह से वर्ष 1987 में हरियाणा और पंजाब के बीच चौधरी बंसी लाल जी के टाइम में दोबारा से राजीव–लोगोंवाल समझौता हुआ और उसके तहत ट्रिब्यूनल

बनाने का काम किया गया। अब मैं इस मामले से जुड़ा एक और प्रसंग सुनाता हूँ। बात तब की है जब चौधरी भजन लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और सैंटर में चौधरी बंसी लाल जी मिनिस्टर थे। उस समय भजन लाल जी को सैंटर में भेज दिया गया और चौधरी बंसी लाल जी को सैंटर से स्टेट में लाया गया। अध्यक्ष महोदय, इस मामले के संबंध में 1982 में एक गलती हो गई जिसकी सजा हम आज भी भुगत रहे है। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। चौधरी भजन लाल जी ने जल्दबाजी में एस.वाई.एल. नहर का उद्घाटन इंदिरा जी से करवा लिया। इसके बाद लोगोंवाल की सुपरविजन में आंदोलन शुरू हो गया और लोगों के कड़े विरोध के कारण एस.वाई.एल. नहर के निर्माण का कार्य रोक दिया गया। वर्ष 1986–87 में चौधरी बंसी लाल जी दोबारा से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और पानी के विवाद को सुलझाने के लिए इराडी ट्रिब्यूनल बनाया गया। नई दिल्ली में 7–आर.के. पुरम में इस ट्रिब्यूनल का आफिस है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इराडी जी, मेनन साहब तथा अहमदीया जी, इन तीनों का यह ट्रिब्यूनल बनाया गया था। वर्ष 1988 में इस ट्रिब्यूनल के एक सदस्य के प्रमोशन होने के बाद सैंटर गवर्नमैंट द्वारा इसमें नई नियुक्ति नहीं की गई और इस वजह से यह ट्रिब्यूनल आज भी एज इट इज पैंडिंग है। मेरा आज सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव है कि इस ट्रिब्यूनल को दोबारा से बनाकर हरियाणा और पंजाब के बीच पानी का बंटवारा करने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, इस ट्रिब्यूनल को दो विषयों पर काम करना होगा। पहला पानी का बंटवारा और दूसरा नहर का निर्माण। मैं इस विषय से संबंधित एक और बात बताता हूँ। वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया था कि बी.आर.ओ. द्वारा एस.वाई.एल. नहर का निर्माण किया जाये और पंजाब सरकार इस कार्य को कंप्लीट करने का काम करेगी लेकिन छह महीने बाद बी.आर.ओ. ने एतराज कर दिया कि यह उसके बस की बात नहीं है। इसके बाद से अब तक इस कार्य के लिए किसी दूसरी संस्था को एप्वॉयंट नहीं किया गया है। अतः प्रदेश सरकार को इन दोनों मामलों में प्रस्ताव पास करके आगे बढ़ने का काम करना चाहिए क्योंकि इस तरह के काम इच्छा शक्ति के बगैर पूरे नहीं हो सकते। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1986 से लेकर आज तक जो हरियाणा का हक मारा गया है, वह दृढ़ इच्छा शक्ति में कमी की वजह से तथा भाई–भतीजावाद का बोलबाला होने की वजह से ही मारा गया है। एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे को सिर्फ वोटों के लिए तथा चुनाव के समय

मुद्दा बनाने के लिए प्रयोग किया गया और इस मुद्दे की तरफ गंभीरता से गौर नहीं किए जाने की वजह से हरियाणा प्रदेश अपने हक को पाने के लिए भी पिछड़ता ही चला गया। आज केन्द्र में और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए इन बातों पर जरूर अमल होना चाहिये। पंजाब सरकार ने जो चण्डीगढ़ के बारे में ऐसा काम किया है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। उसका कोई आधार नहीं है और वह इल्लीगल है। अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से टाइम लें, हम सभी लोग इसके लिये एकजुट होकर जाने को तैयार हैं। अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं इसका पूरजोर तरीके से समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सरकारी संकल्प पर बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता जो इस संबंध में सरकारी संकल्प लेकर आये हैं, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। पानी का झगड़ा आज से नहीं बल्कि वर्ष 1955 से चला आ रहा है। पंजाब, जम्मू एण्ड कश्मीर व राजस्थान को पानी मिला लेकिन आज तक हरियाणा को उसके हिस्से के अनुपात के अनुसार पानी नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भाखड़ा ब्यास मैनेजमैंट बोर्ड का इशू और चण्डीगढ़ में डैप्यूटेशन पर अधिकारियों की नियुक्ति का भी इशू रहा है। आज सदन में राजनीति की बहुत ज्यादा बातें हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि पिछली सभी सरकारों ने अपने–अपने समय के मुताबिक अपने–अपने ढंग से सभी अच्छे काम किये हैं। वर्ष 2016 में बात तय हुई थी कि हरियाणा को सतलुज–यमुना लिंक नहर से उसके हिस्से का पानी मिलेगा लेकिन उसके 5 या 7 साल बीत जाने के बाद कोई भी कार्यवाही इस संबंध में आगे नहीं बढ़ी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूँ कि सारा का सारा सदन इस मुद्दे पर एकमत है। हम इस संबंध में किसी भी नेता पर आरोप–प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते हैं कि उसने इस संबंध में यह काम किया है और उसने यह काम नहीं किया है। हम केवल अब यह जानना चाहते हैं कि सरकार की इस संबंध में भविष्य की क्या प्लानिंग है? इस विषय को किस प्रकार से आगे बढ़ायेंगे? कितना इस विषय पर कार्य करेंगे? हमें इस तरह की तमाम बातों की जरूर सदन को जानकारी होनी चाहिये ताकि हम इन मुद्दों को पूरजोर तरीके से उठा सके। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है क्योंकि उस समय हम कॉलेज के छात्र

हुआ करते थे कि ऐसे भी नेता श्री रिजक राम हुआ करते थे जिन्होंने चण्डीगढ़ को लेकर राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और उस समय सोनीपत से गोहाना तक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने भी चण्डीगढ़ को पंजाब में ट्रांसफर नहीं होने दिया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी पार्टियों के सभी नेताओं ने अपने–अपने ढंग से समय के मुताबिक अच्छे काम किये हैं। अध्यक्ष महोदय, अब इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी आगामी नीति सदन को जरूर बतायें ताकि हम समय पर हरियाणा के हितों की रक्षा कर पायें। धन्यवाद।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सरकारी संकल्प पर बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हाउस में सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। हरियाणा के हितों को देखते हुए पंजाब सरकार ने जो अपनी विधान सभा में चण्डीगढ़ को लेकर सरकारी संकल्प पास किया है, उसकी हम निंदा करते हैं। हरियाणा के हितों के लिये हम सभी अलग–अलग पार्टियों के सदस्यगण एकमत हैं। अध्यक्ष महोदय, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी ने पंजाब विधान सभा में महाराजा रणजीत सिंह का बड़ा फोटो लगाया है। महाराजा रणजीत सिंह सारे पंजाब के महाराजा रहे हैं। उस समय पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। पंजाबी सूबा के लिये बहुत बड़े–बड़े आंदोलन हुए थे। उस समय हरियाणा और चण्डीगढ़ भी उनका हुआ करता था। आज पटियाला शहर में महाराजा रणजीत सिंह के महल को टूरिज्म सैंटर बना दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस समय देश के सामने बहुत गम्भीर समस्याएं हैं । कश्मीर में लोगों के हर रोज कत्ल हो रहे हैं। भगवन्त मान महाराजा रणजीत सिंह जी को अपना आराध्य मानते हैं । उनको यह रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था कि हम बिछड़ गए थे, हम दोनों भाई हैं और अब हम दोबारा एक होते हैं तथा इसमें हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर को भी मिलाएंगे । इससे सारी समस्याएं समाप्त हो जाती । न कश्मीर की कोई समस्या रहती, न पंजाब की कोई समस्या रहती और न ही हरियाणा प्रदेश की कोई समस्या रहती । यह हमारी बदकिस्मती है कि भगवन्त मान की सोच ऐसी नहीं है । मेरा मानना है कि यह सरकार केजरीवाल की वजह से नहीं बनी है । अगर यह सरकार केजरीवाल की वजह से बनी होती तो पिछली बार ही बन जाती । पंजाब में कांग्रेस के नेताओं में आपस में फूट थी और अकाली बहुत पिछड़ चुके थे क्योंकि उनके

समय में प्रदेश में करप्शन बहुत ज्यादा फैल गया था । भगवन्त मान एक ईमानदार और जवान युवक था । इसके फेस को आगे करके चुनाव लड़ा गया और आप को पंजाब में बहुत भारी जीत प्राप्त हुई । इसकी उनको उम्मीद भी नहीं थी । उस समय तक मेरे दिमाग में था कि भगवन्त मान समझदारी से बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि वह ईमानदार है । भगवन्त मान ने शहीद–ए–आजम भगत सिंह के गांव में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी । अध्यक्ष महोदय, श्री अजीत सिंह शहीद–ए–आजम भगत सिंह के चाचा थे । उन्होंने कहा था कि –

पगड़ी सम्भाल जट्टा, पगड़ी सम्भाल जट्टा,
पगड़ी सम्भाल जट्टा, तेरा लूट गया माल ।

इस आदमी ने मुख्यमंत्री बनते ही अपनी पगड़ी केजरीवाल के चरणों में रख दी । अब भगवन्त मान बहुत ही गलत रोल अदा कर रहा है क्योंकि उसके वश में तो कुछ नहीं है । वह प्रदेश में जो भी काम करेगा उसके लिए पहले केजरीवाल से ऑर्डर लेगा । वर्ष 2016 में मेरा बेटा बार कौंसिल का चेयरमैन था और जब केजरीवाल का उत्थान हुआ था तो मेरे बेटे ने केजरीवाल के साथ लुधियाना बार कौंसिल को सम्बोधित किया था । मेरा बेटा उस समय केजरीवाल को बहुत पसन्द करता था । मैं भी सोचता था कि वह एक अच्छा और ईमानदार आदमी है तथा अच्छा काम करेगा । 'दि कश्मीर फाइल्स' फिल्म के विषय पर केजरीवाल दिल्ली विधान सभा में हंस रहा था । कश्मीर में हिन्दुओं पर जो जुल्म हुए, उनकी औरतों के साथ जो बलात्कार हुए वह उन पर हंस रहा था । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राम कुमार जी, आप इस प्रस्ताव से संबंधित बात कीजिए ।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं दो विषयों को आपस में मिला रहा हूं । आप मेरी बात गौर से सुनना । उस वक्त यह विषय था कि 'दि कश्मीर फाइल्स' फिल्म को दिल्ली में भी टैक्स फ्री कर दिया जाए लेकिन केजरीवाल ने उस बात का मजाक उड़ाया और कहा कि 'दि कश्मीर फाइल्स' फिल्म को टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत है । इस फिल्म को तो यूट्यूब पर अपलोड कर दो । उसने उस बात का मजाक उड़ाया और उस वक्त विधान सभा में जो उसके चेले–चपटे बैठे थे वे भी बहुत बुरी तरह से हंसे । उसके बाद मुझे उससे नफरत हो गई कि यह आदमी तो पंचायत का सदस्य बनने के भी लायक नहीं है । भगवन्त मान तो ऐसे आदमी का चेला बना हुआ है । अतः आप उससे क्या उम्मीद करोगे ? अध्यक्ष

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राम कुमार जी, आप इस प्रस्ताव से संबंधित बात ही कीजिए ।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस आदमी से कोई भी उम्मीद करना बहुत ही नासमझी होगी । भगवन्त मान बहुत ही नाकामयाब मुख्यमंत्री साबित होगा । आप देखोगे कि थोड़े ही दिनों में इसके खिलाफ जबरदस्त बगावत होगी । दूसरी बात, उस पार्टी का राज्यसभा का सदस्य संजय सिंह भी राज्यसभा में 'दि कश्मीर फाइल्स' फिल्म के विषय पर हंस रहा था । वह भी यही कह रहा था कि इस फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड कर दो । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राम कुमार जी, आप इस प्रस्ताव के विषय से न भटकें ।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी अंतिम बात कहकर अपना वक्तव्य खत्म करता हूं । मेरे अजीज ने जो बात कही थी, उसमें मेरे हल्के के गांव भी शामिल हैं। मैंने इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से भी कहा था कि पटवारियों और तहसीलदारों की वजह से खेड़ी जालिब तहसील में कपास की फसल का मुआवजा नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही इम्पोर्टैंट इशू है।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री राकेश दौलताबाद जी अपनी बात रखेंगे।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही इम्पोर्टैंट इशू है। चूंकि वहां पर संबंधित लोग पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रैजोल्यूशन को यू– ट्यूब पर डाल दिया है और दूसरे विषय पर अपनी बात रख रहे हैं।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही इम्पोर्टैंट मामला है और मैं इसके बारे में प्रैस कान्फ्रैस करके बताऊंगा। जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, अगर वही उसकी मां–बहन के साथ हुआ होता तो क्या उसके बाद भी दिल्ली का मुख्यमंत्री हंसता ? मुझे इस बात का बहुत दर्द है। उनको इस बात पर दर्द नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरी इस बात पर सोच अलग है।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री राकेश दौलताबाद (बादशाहपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस रैजोल्यूशन पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैसा कि

आज इस सदन में सभी माननीय सदस्यों ने पुरजोर तरीके से रैजोल्यूशन का पूरा–पूरा समर्थन किया है। मैं भी अपनी तरफ से सरकार के फैसले से पूरी तरह से सहमत हूं।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ दि कश्मीर फाईल पर हंसने पर सामूहिक तौर पर रैजोल्यूशन लाएं। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, प्लीज, आप बैठें। राकेश जी, आप केवल 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करें।

श्री राकेश दौलताबाद : अध्यक्ष महोदय, जैसा पंजाब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी ने कहा कि जब पार्टिशन/डिवीजन होता है तो कैपिटल सिटी पैरेंटल स्टेट के पास चली जाती है। अभी जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने बताया कि जब सन् 1914 में आन्ध्र प्रदेश में डिवीजन हुआ तो उस टाइम पर हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश की कैपिटल रही। इसी तरीके से जब इसी चेन से देखा जाए तो सन् 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उस टाइम पर सदन में एक प्रस्ताव आया और उसके बाद सन् 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ। उसमें भी यही बात थी कि फाजिल्का के पास के जो 400 हिन्दी भाषी गांव हैं, उनको हमारे हरियाणा प्रदेश के साथ जोड़ दिया जाए, लेकिन उनको आज तक हरियाणा प्रदेश के साथ नहीं जोड़ा गया है। इसके बाद अब पंजाब सरकार चण्डीगढ की डिमांड कर रही है परन्तु इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। जब सन् 1966 में हरियाणा प्रदेश बना था तो उस टाइम पर सैंट्रल गवर्नमैंट ने एक प्रपोजल दिया था कि अगर हरियाणा प्रदेश अलग से अपनी कैपिटल सिटी बनाना चाहता है तो उसके लिए 10 करोड़ रुपये कैश दे देंगे और 10 करोड़ रुपये का लोन दे देंगे। आज हमें इस विषय पर एक बहुत जबरदस्त स्टैंड लेने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज हमारे राज्य की फाइनैंशियल सिच्यूएशन पंजाब राज्य से कहीं बैटर है। आज हम सदन में 5,000 करोड़ रुपये पास करके पंजाब सरकार को भी दे सकते हैं ताकि चण्डीगढ हरियाणा राज्य के पास रहे। बाकी पैसा सैंट्रल गवर्नमैंट पंजाब सरकार को अपनी कैपिटल बनाने के लिए लोन के तौर पर दे और पूरे का पूरा चण्डीगढ हरियाणा राज्य को दे।

श्री अध्यक्षः अब इस सरकारी संकल्प पर लॉस्ट मैम्बर श्रीमती गीता भुक्कल जी ही बोलेंगी।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से माननीय सदस्य राव दान सिंह जी को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्षः आफताब जी, इस सरकारी संकल्प पर माननीय सदस्यों को अपनी बात रखते हुए निर्धारित समय से बहुत ज्यादा समय हो चुका है।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से केवल 2 माननीय सदस्यगण ही अपनी बात रखेंगे।

श्री अध्यक्षः आफताब जी, दोनों माननीय सदस्यगण केवल 2– 2 मिनट में ही अपनी बात रख लेंगे।

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस सरकारी संकल्प पर अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, इस सरकारी संकल्प पर माननीय सदस्यों को बोलते हुए पहले ही बहुत समय हो चुका है।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर)(अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सरकारी संकल्प पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत– बहुत धन्यवाद करती हूं। अध्यक्ष महोदय, आज इस महान सदन में सदन के नेता एक ऑफिशियल रैजोल्यूशन लेकर आए हैं। आज मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में पिछले दिनों पंजाब राज्य की विधान सभा में पंजाब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एक ऑफिशियल रैजोल्यूशन लेकर आए थे। उसमें उन्होंने चण्डीगढ पर पूरी तरह से अपना क्लेम करने का काम किया है। जोकि हरियाणा राज्य और पंजाब राज्य की राजधानी है। यह काम बहुत ही अनकांस्टीच्यूशनल और इल्लीगल है। यह उनका बहुत ही गलत तरीका है। वे संबंधित प्रस्ताव जनता का ध्यान भटकाने के लिए लेकर आए हैं। मैं एक मिनट का समय लेते हुए यह बात कहना चाहूंगी कि शुरू में ही चंडीगढ़ राजधानी को लेकर बात हुई तो देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी थे। उन्होंने प्लान बनाया कि चंडीगढ़ एक मॉर्डन सिटी बने और वर्ष 1948 में इसको शुरू करने की बात भी हुई थी। हमारे राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने इसका एनोग्रेशन किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि हरियाणा प्रदेश बना, पंजाब प्रांत बना और यू.टी. भी बना था। आज हमें यह सोचना होगा कि इस तरह से पंजाब सरकार

रैजोल्यूशन लाकर क्या करना चाह रही है जबकि चंडीगढ़ तो दोनों प्रदेशों की राजधानी है। पंजाब सरकार ने हमारे हकों पर डाका डालने का काम किया है। 1 नवम्बर, 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब हमारा हरियाणा एग्जिस्ट किया तो उस समय यह तय हुआ था कि बहुत सारे समझौते जो कि सरकारी संकल्प में बताये गये हैं। जैसे इंदिरा गांधी समझौता, राजीव लोंगोवाल समझौता और वेंकटरमैया आयोग आदि।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, प्लीज आप अपनी बात रिपीट न करें। अगर आपको इन बातों के अलावा कोई और बात करनी है तो सदन में करें।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि चंडीगढ़ को लेकर हमारा जो क्लेम बनता है, वह हमारा स्ट्रांग क्लेम होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे सिर्फ एक मिनट सरकारी संकल्प से जुड़ी हुई बात कहने दीजिए। हमारा The Punjab Re-organisation Act, 1966 है, उसमें चंडीगढ़ के क्लेम की बात कही गई है और इस एक्ट में हमारे प्रदेश के हक की बात भी कही गई है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि फैडरल स्ट्रक्चर पर भी केन्द्र सरकार ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, इसमें यह कहा गया है कि The Central Services Rule चंडीगढ़ में लागू होंगे। इससे पहले चंडीगढ़ में The Punjab Services Rule लागू होते थे तब उन कर्मचारियों का पे स्केल ज्यादा था लेकिन The Central Services Rule चंडीगढ़ में लागू करने की बात की जा रही है और चंडीगढ़ में देश के होम मिनिस्टर साहब ने यह अनाउंस किया है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब प्रांत में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान भटकाने का काम किया है इसलिए हम उनकी इस बात के लिए कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसके अलावा जो एस.वाई.एल. कैनाल के पानी का मुद्दा यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर हमारा यही कहना है कि हमारे प्रदेश को 3.5 एम.ए.एफ. का पानी देने का राइट बनता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला भी हमारे हक में दिया हुआ है। हमें आपस में मिलकर के अपने प्रदेश के हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गवर्नर साहब से मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, प्लीज अब आप बैठ जायें।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, हमारा एक बी.बी.एम.बी. से संबंधित मुद्दा भी है।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, अब आप बैठ जायें। अब जय प्रकाश दलाल जी सदन में अपनी बात रखेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, अब मैं एयरपोर्ट के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहूंगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, गीता जी ने जो एयरपोर्ट के मुद्दे की बात उठाई है यह इनकी बात ठीक है। जब चंडीगढ़ में इन्टरनैशनल एयरपोर्ट बन रहा था। इसका उद्घाटन करने के लिए उस समय श्री प्रफुल्ल पटेल, उड्डयन मंत्री जी हुआ करते थे और वे दिल्ली से आये थे। वे यह फैसला करके आये थे कि इसका नाम मोहाली एयरपोर्ट के नाम पर रखा जायेगा। अध्यक्ष महोदय, पहले यह बात की गई थी कि इसमें 51 परसैंट हिस्सा एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी का होगा और 49 परसैंट हिस्सा पंजाब प्रांत का होगा। वहां पर मुझे भी बुलाया गया था और वहां पर जाने के बाद मुझे इस बात का पता चला तो मैंने इस बात के लिए मना कर दिया था। मैंने एयरपोर्ट पर ही यह फैसला करवाया कि 49 परसैंट हिस्से में से साढ़े 24 परसैंट हिस्सा हरियाणा प्रदेश का होगा और साढ़े 24 परसैंट हिस्सा पंजाब प्रांत का होगा। मैंने सुझाव दिया था कि इस एयरपोर्ट का नाम मोहाली एयरपोर्ट नहीं बल्कि शहीद भगत सिंह के नाम से एयरपोर्ट का नाम रखा जाये।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया सबसे पहले इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। सर, इस मामले में चिंता का सबसे पहला विषय यह है कि जब किसी आम आदमी को Contempt of Court हो जाती है तो इसका भी माननीय अदालत को संज्ञान लेना चाहिए था और माननीय अदालत के आदेशों की उल्लंघना करने वालों को नियमानुसार सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए थी। इतने गम्भीर मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला दिया उसके बावजूद पंजाब सरकार ने हमारी नहर को मिट्टी डालकर बंद करने का काम किया और किसानों को उनकी जमीन वापिस देने का काम किया है। इसके साथ ही साथ एक दूसरा गम्भीर विषय यह है कि हरियाणा को जो 3.5 एम.ए.एफ. पानी अलॉट हुआ है उसमें से 1.62 एम.ए. एफ. पानी हमें मिल रहा है। वह नहर 50–60 साल पुरानी हो गई है इसलिए धीरे–धीरे उसकी वॉटर कैरिंग कैपेसिटी कम होती जा रही है। हमें जो पानी मिल रहा था उसकी मात्रा भी हर साल घटती जा रही है। जब तक उसके पैरेलल नहर नहीं बन जाती तब तक हम उसकी रिपेयर भी नहीं कर सकते और उसकी

कैपेसिटी भी नहीं बढ़ा सकते। भविष्य में हरियाणा, राजस्थान या किसी दूसरी जगह अगर कोई संकट आ जाये और दुर्भाग्य से यह नहर टूट जाये तो हमारे क्षेत्र में तो पीने के पानी का संकट खड़ा हो जायेगा। वैसे भी पैरलल नहर तो हर हाल में होनी ही चाहिए थी। इस सम्बन्ध में पंजाब ने जो काम किया है उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मेरा यह भी कहना है कि हमें सिर्फ अपने हिस्से का पानी ही नहीं मांगना चाहिए बल्कि इतने वर्षों तक पंजाब के द्वारा जो हमारे हिस्से के पानी को यूज किया गया है हमें पंजाब सरकार से उसका मुआवजा भी मांगना चाहिए। मैं दक्षिणी हरियाणा के भिवानी जिले से बिलॉग करता हूं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से केजरीवाल जी का गृह जिला भी भिवानी ही है। पिछले दिनों जब केजरीवाल जी मेरे जिले के किसानों से मिलने गये तो उन किसानों को एक उम्मीद हो गई थी कि अब केजरीवाल जी उनको उनके खेतों की सिंचाई और पीने के लिए पर्याप्त पानी जरूर उपलब्ध करवायेंगे क्योंकि केजरीवाल जी ने वहीं का नमक खाया है और वहीं पर खेले–कूदे हैं। कोई भी धरती पुत्र अपने जन्म स्थान का लिहाज रखता ही है। इस प्रकार से हमारे जिले और प्रदेश के किसानों को केजरीवाल जी से बहुत सी उम्मीदें थी लेकिन पंजाब सरकार ने जो यह कृत्य किया उससे हमारे जिले और प्रदेश के किसानों का केजरीवाल जी के प्रति विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया है। इन सबके कारण हमारे प्रदेश का किसान बहुत ज्यादा गुस्से में है। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि अपने हिस्से के पानी की लड़ाई, चण्डीगढ़ की लड़ाई और हिन्दी भाषी क्षेत्रों सहित अपने सभी हकों की इस लड़ाई को हम सभी को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। धन्यवाद।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़) : स्पीकर सर, आपने मुझे इस गरिमामय सदन में आज के बहुत ही संवेदनशील इशू के ऊपर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस पूरे प्रस्ताव के बारे में, भावी नीति के बारे में और पूर्व में जो भी घटनायें घटी उनके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की। मैं उन सभी को रिपीट नहीं करना चाहता। मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि हरियाणा का गठन हुए तकरीबन 56 वर्ष हो चुके हैं इस समय के दौरान अनेक सरकारें आई और चली गई। इसी प्रकार से बहुत से नेता भी आये और चले गए लेकिन हमारी समस्यायें अभी भी ज्यों की त्यों ही बनी हुई हैं। हर नेता ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। मैं किसी की भी आलोचना नहीं करना चाहता।

मेरा बार–बार यही कहना है कि इस सब के बावजूद भी आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। चण्डीगढ़ की समस्या as it is है। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि चण्डीगढ़ पर हमारा अधिकार है और रहेगा। इस मामले में पूरा सदन पूरी एकजुटता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। इतना ही नहीं मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के हकों की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का एक–एक बच्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। अध्यक्ष जी, अब मैं रावी–ब्यास का पानी एस.वाई.एल. कैनाल के माध्यम से हरियाणा में लाने के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं एक ऐसे क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं जहां पर पानी की बहुत भारी किल्लत है। वहां पर 1400 फुट की गहराई तक भी पानी की एक बूंद नहीं मिलती। वहां पर 1400 फुट की गहराई पर भी सिर्फ और सिर्फ सूखा रेत ही मिलता है। जब भी चुनाव आते हैं तो एस.वाई.एल. कैनाल के माध्यम से रावी–ब्यास का पानी हरियाणा में लाने के बारे में बातें की जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि पानी से ज्यादा जरूरी कोई दूसरी चीज नहीं है। कहा भी गया है कि –

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।
पानी गये न ऊभरे मोती, मानस, चून।।

कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि पानी की हमारे जीवन में इतनी महत्ता है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। (विघ्न) अध्यक्ष जी, हांसी–बुटाना नहर का निर्माण हमारे अपने पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हुआ था । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह प्रयास करे कि जब तक एस.वाई.एल. कैनाल का इशू सैटल नहीं होता तब तक हांसी–बुटाना नहर के माध्यम से हमारे इलाके में पानी पहुंचाया जाए ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को पीने व सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।

डॉ. अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि यह जो पंजाब असैम्बली का रेजोल्यूशन है यह कोई प्योरली पोलीटिकल रैजोल्यूशन नहीं है। सेक्सपीयर ने एक जगह पर एक प्ले में कहा है कि there is a method even in madness. यह उनकी सोची समझी चाल है। जब भी कोई मुद्दा उठता है वे इसी तरह के काम करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब–जब इन पर प्रैशर आया है तो इन्होंने ऐसा ही काम किया है। वर्ष 2004 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन्ज दी थी कि एक साल में एस.वाई.एल.

नहर को कम्पलीट किया जाये और 4 सप्ताह में कोई भी सैन्ट्रल ऐजेन्सी उसको टेकओवर करे तथा पंजाब सरकार उसको 2 सप्ताह में वर्क हैंडओवर कर दे। जब वह वर्क हैंडओवर करने के दो दिन बचे हुए थे तब उन्होंने यह The Punjab Termination of Agreement Act, 2004 पास किया था। यह टोटल्ली इल्लीगल एक्ट था, उसका कोई लीगल स्टैंड नहीं था। यहां तक कि वह फैड्रल स्ट्रक्चर के भी खिलाफ था तथा वह कांस्टीच्यूशनली भी गलत था। लेकिन उसके बाद उनको उसका लाभ मिला। उसके बाद आर्टिकल 143 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेफरैंस भेजा that was the mockery of the System. यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहुत से वकील बैठे हुए हैं। पंजाब सरकार की तरफ से रेफरैंस में जो इशू सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया गया है उसके बारे में एक सिम्पल लॉ ग्रेजुएट भी बता सकता है कि जहां पर सैन्ट्रल एक्ट लागू हो वहां पर स्टेट गवर्नमैंट का एक्ट प्रभावी नहीं हो सकता, वह सैन्टर गवर्नमैंट के एक्ट के प्रभाव को कम नहीं कर सकता। यहां रेफरैंस में कहा जाता है कि whether the Punjab Termination of Agreement Act, 2004 and the provisions thereof are in accordance with the provisions of Section 14 of the Inter State Water Dispute Act and Punjab Re-organisation Act, 1966. ये दोनों एक्ट पार्लियामैंट द्वारा पास किये हुये थे। पार्लियामैंट द्वारा पारित एक्ट को स्टेट गवर्नमैंट का कोई भी एक्ट ओवररूल नहीं कर सकता है। इस बारे में पंजाब को चाहिए था कि लीगल ओपिनियन लेकर केन्द्र सरकार से बात करते और वहीं से उनका समाधान निकल सकता था। उन्होंने वर्ष 2004 में जो किया वह टोटली इल्लीगल था उस पर कोई अमल ही नहीं हो सकता था क्योंकि जो beyond the jurisdiction अगर कोई एक्ट होता है तो उसकी लीगली कोई एंटिटी नहीं होती है लेकिन फिर भी वह हुआ। अब जहां तक चण्डीगढ़ की बात है तो पंजाब में नई सरकार बनी है और कुछ साथी बता रहे थे कि चुनाव के दौरान जनता से बहुत अधिक वायदे किये हुए हैं इसलिए किये गये वायदे पूरे करने का उन पर प्रैशर भी है। इसी तरह से हरियाणा की तरफ से भी मांग होने लग गई थी कि हमें चण्डीगढ़ में हमारा पूरा हिस्सा चाहिए तथा विधान सभा भवन में भी पूरा हिस्सा चाहिए इसलिए पंजाब के द्वारा गलत तरीके से यह एक्ट पास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि एस.वाई.एल. नहर कोई आम बात नहीं है बल्कि हमारे दक्षिण हरियाणा के लिए तो यह प्राणों के समान है

इसलिए पिछली सभी सरकारों ने उसको बनवाने के लिए प्रयास किया लेकिन आज तक वह प्रयास फलीभूत नहीं हुआ क्योंकि जब भी सही मौका आता है उस मौके पर इसमें राजनीति घुस जाती है और उस राजनीति के कारण ही इसमें इतना अधिक समय लग गया। इस बारे में मैं एक प्रार्थना माननीय प्रधानमंत्री जी से करना चाहूंगा कि जब धारा 370 समाप्त हो सकती है और 50 साल से अधिक समय से चला आ रहा मेघालय, मणिपुर और असम का सीमा विवाद समाप्त हो सकता है तो सभी संबंधित राज्यों को एक साथ बैठा कर इस पानी के विवाद को समाप्त किया जाये। धन्यवाद।

श्री शमशेर सिंह गोगी (असंध): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिछले 56 सालों में इस विषय पर जो–जो हुआ है वह सभी माननीय सदस्यों ने बता दिया है और जो हमारे जैसे नये सदस्य चुन कर आये हैं उन्होंने उसको सीख भी लिया है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि आगे हमें क्या करना है? अब जो हम करेंगे उसकी कीमत आज के दिन लोग आंकेंगे कि हमने क्या किया है। इस मामले में पीछे जो हुआ है उसको सीधे शब्दों में कहूं तो अब तक जो भी काम किया गया था वह पूरा राजनीति की भेंट चढ़ गया। इसमें गलती चाहे किसी की भी हो, राजनीति के कारण यह मुद्दा अभी तक जिन्दा है अन्यथा ये फैसले अभी तक हो जाते। कभी किसी को पंजाब में चुनाव लड़ना होता है वह मुद्दा उठा देता है और कभी किसी को हरियाणा में वोट लेनी हैं तो वह इस मुद्दे को उठा देता है। अगर हम जनता के हितों का सौदा वोट के साथ करेंगे तो ऐसा ही हाल होगा जो आज हो भी रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह मुद्दा क्यों उठा? अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने चण्डीगढ़ में अपने एक ब्यान में यह कहा था कि हम चण्डीगढ़ में सैंट्रल सर्विसिज के रूल लागू करेंगे। उस समय पंजाब का सैशन चल रहा था जिससे पंजाब सरकार पर इस बात को लेकर पूरा दबाव बन गया जिसके कारण पंजाब सरकार द्वारा आनन–फानन में यह असंवैधानिक रैजोल्यूशन पास कर दिया गया और हम सोते रहे। आपको याद होगा कि पिछली बार कोराना के समय में जब मैं वी.आई.पी. गैलरी में बैठा था उस समय मैंने बी.बी.एम.बी. का एक मुद्दा उठाया था कि सरकार इस संबंध में एक रैजोल्यूशन लाए लेकिन हमारी सरकार की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि सैंटर में 56 साल से ऐसी ही राजनीति चल रही है कि दिल्ली में कोई नाराज न हो जाए और यहां कोई नाराज न हो जाए,

उधर कोई नाराज न हो जाए। अगर हमारी नीयत साफ होगी कि आगे भविष्य के लिए हमने क्या करना है तो मेरा एक लाईन का रैजोल्यूशन है जिसकी आज ज्वलंत जरूरत है। आज सदन तो बुला ही रखा है इसमें आज यह बात भी एड कर दें कि करप्शन रखना है या इसको लीगल वर्क बनाना है या इसको खत्म करना है।

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, यह कोई इशू नहीं है। प्लीज आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, अगर हरियाणा के अन्दर पानी की कहीं दिक्कत है तो वह अहीरवाल व मेवात क्षेत्र को है। (शोर एवं व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री जी ने चण्डीगढ़ के संबंध में जो प्रस्ताव रखा है हम उसका समर्थन करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, आप जब भी सैशन बुलाते हैं तो उसमें सभी सदस्यों को थोड़ा बोलने का समय दे दिया करो।

श्री अध्यक्ष : राम कुमार जी, जितना मैंने सदस्यों को बोलने का मौका दिया है शायद ही कभी मिला हो और आप अब भी यही कह रहे हैं कि बोलने का मौका नहीं मिला तो इससे मुझे बड़ा कष्ट होता है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग तीन घंटे से यह चर्चा चल रही है। वैसे तो आपने आज का जो यह सैशन बुलाया है वह वैसे तो एक स्पैसिफिक परपज के लिए ही बुलाया गया है जिसमें हम सभी ने एक रेजोल्यूशन को पास करने का मन बनाया है इसलिए यह सैशन उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए ही बुलाया गया है। बाकी इशूज का जिक्र तो हम दूसरे सैशन में भी करते ही हैं लेकिन आज हमने शुरू में ही यह डिसाईड किया था कि आज केवल एक ही विषय पर चर्चा होगी जिस पर आज सभी पक्षों की तरफ से लगभग 25 वक्ता बोले हैं। मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूं कि सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और इसमें कोई अलग प्रकार का सुझाव नहीं आया है। इस विषय पर सभी ने विस्तार से बातें भी की हैं। मुझे लगता है कि जो बातें अभी तक शायद नहीं आई हैं या कहीं–कहीं जिसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है उन पर मैं थोड़े संक्षेप में बताना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले तो जैसा कि श्री जगबीर सिंह मलिक जी ने बताया कि यह विषय वास्तव में वर्ष 1955 में जब पंजाब के बंटवारे का विषय आया था तभी से शुरू हुआ था और प्रारंभ में इस पर एक बात बन गई

थी कि इसका भाषीय आधार पर विभाजन कर दिया जाए अर्थात पंजाबी भाषी एक तरफ और हिन्दी भाषी एक तरफ लेकिन आगे चलकर जो मैंने शाह कमीशन के दस्तावेज में पढ़ा है उसमें लिखा है कि पंजाब सीमा आयोग, शाह आयोग के नाम से विख्यात भारत सरकार द्वारा 23 अप्रैल 1966 यानि विभाजन से पहले इसको गठित किया गया था। अध्यक्ष न्यायमूर्ति ने फिर 31 मई 1966 को शाह आयोग को सिफारिश की कि खरड़ तहसील जिसमें चण्डीगढ़ परियोजना भी है उसको हिन्दी भाषी राज्य का हिस्सा बनाया जाएगा क्योंकि पाया गया कि खरड़ में 71.3 प्रतिशत जनसंख्या हिंदी भाषी है जिसमें चंडीगढ़ की जनसंख्या भी शामिल थी। अब जब आगे जाकर घटनाक्रम बदला तो उसकी वजह से यह विवाद क्रियेट हुआ लेकिन इस घटना के पीछे क्या कारण थे या उस समय के क्या राजनीतिक परिदृश्य थे, उनके बारे में मैं समझता हूँ कि कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है लेकिन जो बातें कागजों पर लिखी गई हैं, उससे सहज ही उस समय की स्थिति का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, 31 मई को आयोग द्वारा सिफारिश की गई और इसके कुछ दिन बाद ही अर्थात 9 जून को केन्द्र सरकार की कैबिनेट की एक मीटिंग आयोजित होती है। उस मीटिंग में केन्द्र के 11 मंत्री शामिल थे और इनके साथ ही अधिकारीगण भी शामिल थे और उस समय जो फैसला लिया गया, मैं उसको पढ़कर सुनाता हूँः–

> "Cabinet considered further the recommendations of the Punjab Boundary Commission in respect of Kharar Tehsil and decided that the area of Kharar Tehsil included in the Punjabi region should form part of the Punjabi-speaking State, the area of Tehsil included in Hindi region should form part of the new Haryana State."

यहां तक तो सब ठीक है। बाद में यह भी लिखा गया किः–

> "Chandigarh should be a Union Territory. It should be the Capital of both the new States. The Central Government should take power to give direction to the new States to regulate the development of controlled area"

अध्यक्ष महोदय, अगर चंड़ीगढ़ को यूनियन टैरिटरी न बनाया जाता या उसी समय कोई निर्णय ले लिया जाता तो आगे चलकर कोई विवाद पैदा न होता, मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें महज काल्पनिक ही हैं लेकिन चूंकि शाह

कमीशन ने हिंदी भाषी क्षेत्र चंडीगढ़ को, हरियाणा प्रदेश को देने का काम किया और इसके बाद जब कैबिनेट ने चंडीगढ़ को यूनियन टैरिटरी बनाया तो फिर जो आगामी कार्यवाही शुरू हुई, मैं अब उसके बारे में बताता हूँ। शाह कमीशन के बाद, वर्ष 1970 में जो इंदिरा गांधी एकॉर्ड हुआ, उसमें यह कह दिया गया कि चंडीगढ़ को पंजाब को देना चाहिए और जो 105 हिन्दी भाषी गांव हैं, वे गांव हरियाणा को मिलने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, तीन अलग अलग प्रकार के घटनाक्रम हुए। शाह कमीशन कुछ और कहता है, कैबिनेट की मीटिंग में कुछ अलग फैसला लिया जाता है और इंदिरा गांधी एकॉर्ड में कुछ अलग फैसला लिया जाता है। इसके बाद भी कईं प्रकार के फैसले हुए जिनमें अलग–अलग निर्णय लिए गए। वर्ष 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ और इसके बाद मैथ्यू आयोग आया। मैथ्यू आयोग ने 10–12 साल के बाद हो सकता है कि यह बात मान ली हो कि हिन्दी भाषी जो एरियाज हैं, वे हरियाणा को मिल जायें और यदि चंडीगढ़ को पंजाब को देने से दोनों प्रदेशों की पानी की समस्या हल हो सकती है तो ऐसा कर लिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं अब इसी विषय से जुड़ा कंदूखेड़ा गांव का एक घटनाक्रम सुनाता हूँ। इस डिवीजन में कंटीग्यूटी से संदर्भित एक शर्त रखी गई थी कि कंटीग्यूटी विद हरियाणा अर्थात पंजाब के जो हिंदी भाषी एरियाज हरियाणा के साथ लगते हैं, वे एरियाज हरियाणा को दिए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, पंजाब और राजस्थान के बीच अबोहर फाजिल्का जाते समय कंदूखेड़ा नाम का एक गांव आता है जिसकी वतर्मान में 3123 के लगभग पापुलेशन है। यह कोई ज्यादा बड़ा गांव नहीं है। इस गांव को प्रयत्नपूर्वक पंजाबी भाषी गांव करवाया गया। इस बारे में अभी पिछले कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रैस में एक रिपोर्ट छपी थी और लिखा गया था किः–

> "Kulwant Singh (58) a Panchayat Member recalls how the leaders camped in the village school and he was at their beck and call. Entire night we went around reminding the village residents that we are Punjabis, Unfortunately, successive governments have failed us."

जिस बलविन्द्र सिंह का इंटरव्यू लिया गया है, वह कहता है किः–

> "I often tell my father he was one of those who made a mistake of choosing to be with Punjab. I was small then," said Balwinder.

अध्यक्ष महोदय, उस समय उनसे कुछ वायदे भी किए गए थे किः–

> "Barnala promised Government employment for atleast 30-35 youths then. Not one got it. They promised ITI. The Panchayat provided them 50 acres of land but the institute never came to the village. We wish our village had gone to Haryana. Our villages used to look like poor cousins of Haryana villages….."

यह आज कंदूखेड़ा के लोग मानते हैं। यह सब कार्य प्रयत्नपूर्वक किया गया और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस समय कोई ऐसा सिलसिला रहा हो कि यह एक गांव है और इसको सारे का सारा पंजाब का गांव बना दिया जाये। एक सुझाव उस समय एक फर्लांग चौड़ी गैलरी देने का आया था। उसको भी बाद में नकार दिया गया कि जो रास्ता कन्दूखेड़ा का है, वह नहीं देना है। इस प्रकार से यह मामला उलझता चला गया। उलझने के बाद चाहे इसमें नये–नये आयोग एन. के. आयोग, देसाई आयोग, इराडी कमीशन आदि आये हो लेकिन उलझते चले गये। अध्यक्ष महोदय, उलझने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दौर शुरू होता है। मेरे पास जिसका पूरा विवरण डेटवाईज दिनांक 1 नवम्बर, 1966 से लेकर अब तक का है। मैं ज्यादा पीछे न जाते हुए वर्ष 2016 के बाद से जो बातें सामने आई हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि वर्ष 2016 के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की है। अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने वकालत कर रखी है और उन्हें पता है कि किसी भी मामले में माननीय न्यायालय का डिसीज़न होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिये ऑर्डर लेना पड़ता है। वर्ष 2003 में भी यह निर्णय हो गया था कि सतलुज–यमुना लिंक नहर का पानी हरियाणा को मिलेगा। वर्ष 2003 में एग्जीक्यूशन ऑर्डर आया, उस एग्जीक्यूशन ऑर्डर के बाद वर्ष 2004 में पंजाब सरकार ने एक एक्ट बनाया और एग्जीक्यूशन ऑर्डर को निरस्त कर दिया। इस प्रकार से इस संबंध में कहानी यहीं से शुरू होती है। अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में दिनांक 29.02. 2016 को निर्णय दिया कि– continuous hearing of Presidential Reference was started by five Judges' Constitutional Bench headed by Justice Anil R. Dave. दिनांक 17.3.2016 को इस संबंध में फिर हीयरिंग हुई थी। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 01.06.2016 को State of Haryana filed the present IA No.6 of 2016 seeking execution and enforcement of this decree dated

15.01.2002. क्योंकि जो इस संबंध में निर्णय दे दिया था, दिनांक 15.01.2002 के एग्जीक्यूशन का दोबारा से ऑर्डर इसलिए लेना पड़ा क्योंकि वह वर्ष 2004 में समाप्त हो गया था। अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह केस चला गया था और उन्होंने इसको रद्द कर दिया था। एग्जीक्यूशन के ऑर्डर के लिये कोर्ट गये क्योंकि हमें लोगों ने कहा कि एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दोबारा से लेना पड़ेगा। उस समय का एग्जीक्यूशन ऑर्डर एक प्रकार से नल एण्ड वॉयड इसलिए हो गया था, क्योंकि उसमें चार महीने का समय दिया गया था। उस समय केन्द्र सरकार को कहा गया था कि चार महीने में इस नहर को सी.पी.डब्ल्यू.डी. (Central Public Works Department) के द्वारा बनाया जाये। इस प्रकार से चार महीने और कई वर्ष निकल गये, इसलिए एग्जीक्यूशन ऑर्डर दोबारा से लेना पड़ेगा कि कौन सी एजेंसी इसको बनायेगी। उस समय से लेकर वर्ष 2016 तक इस संबंध में कम से कम 41 घटनाएं लिखी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इन 41 घटनाओं में से 21 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डेट्स लगी हुई हैं और हम लगातार प्लीड कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्टैण्ड यह ले लिया कि आपस में मिलकर सहमति से इसका फैसला करो। जिसमें केन्द्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार के प्रतिनिधि मंडल शामिल हो। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में एक अंतिम ऑर्डर तो यह है कि पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री बैठकर इसका कोई न कोई रास्ता निकालें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार क्यों कह रहा है, इसका हमें मालूम नहीं है लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूशन ऑर्डर इस संबंध में आज तक नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020 के अगस्त महीने के आखिर में इस संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय को बार–बार बुलाया गया था लेकिन वे नहीं आये। आखिर में उन्होंने कहा कि कोविड–19 वैश्विक महामारी का संक्रमण शुरू हो गया है, इसलिए इस पीरियड के दौरान बैठना संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सच्ची बात तो यह है कि वे इस मुद्दे पर बैठना ही नहीं चाहते थे। हमने इस संबंध में कहा था कि हम इस मुद्दे को लेकर बैठते हैं, यदि कोई डिसीज़न होता है तो ठीक है अगर नहीं होता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लिखकर दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर के मुताबिक आपस में बैठकर कार्यवाही करनी है लेकिन इस संबंध में हम दोनों मुख्यमंत्रियों का एक बार भी बैठने का काम नहीं हुआ। हमने भी यही सोचा था कि एक बार कोविड–19 का दौर समाप्त हो जाये,

उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर बैठें, हम कोई इसको राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, हर पार्टी ने चाहे पंजाब की हो या हरियाणा की हो इसको चुनावी मुद्दा बनाया है। हमने कहा कि हम इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनायेंगे क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में काफी निर्णय दे चुका है, अब तो केवल एक्जीक्यूशन का विषय ही बाकी बचा हुआ है। कहीं ऐसा न हो जाये कि चीज और आगे बढ़ जाये, इसमें ज्यादा तल्खी हो जाये और चीज कहीं और लम्बी न चली जाये। आज पंजाब में नई सरकार का गठन हुआ है और हमारी अपेक्षा यह थी कि जो भी नई सरकार सत्ता में आती है, उसको अपने काम–काज का तरीका नये तरीके से ढूंढना चाहिये। पुरानी सरकार जो सत्ता में रहती हैं या पुरानी पार्टियां होती हैं उनकी बैकग्राउण्ड में एक धारणा बन जाती है और उस धारणा में वे कठोर हो जाते हैं अर्थात् वे अपने–अपने स्टैण्ड पर अड़े रहते हैं। पंजाब सरकार ने जिस तरह से बनते ही यह प्रस्ताव पास किया है तो यह कुछ–न–कुछ प्रश्न अवश्य खड़े करता है कि सरकार ने आते ही ऐसा प्रस्ताव क्यों पास किया है ? उनके द्वारा प्रस्ताव पास करने के बाद एक दिशा बन गई है । उनके द्वारा प्रस्ताव पास करने के बाद सभी वक्तओं ने आज सदन में कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब यह विचार किया जाए कि इसको लाइन पर कैसे लेकर आया जाए । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह कहना ठीक है कि मैं भी उस मीटिंग में उपस्थित था । जब सुप्रीम कोर्ट की कांस्टीच्यूशनल बैंच का फैसला आया था तो उसके बाद हम और माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा माननीय गृह मंत्री जी से भी मिले थे । माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात के समय सुप्रीम कोर्ट के वकील भी उपस्थित थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा था कि अब ऑर्डर अपनी फाइनलिटी ले चुका है । अतः अब एग्जीक्यूशन का कोई मतलब नहीं है । अब तो सरकार को पंजाब सरकार के खिलाफ कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर का मामला फाइल करना चाहिए तब बात बनेगी ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह विषय हुड्डा साहब ने उस समय भी उठाया था । हमने इस विषय में ए.जी. और कानून के अन्य जानकारों से भी जानकारी ली थी । उन्होंने हमसे कहा कि आपको एक बार एग्जीक्यूशन ऑर्डर तो लेना ही पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, हम एग्जीक्यूशन ऑर्डर लिये बगैर आगे नहीं बढ़ सकते

क्योंकि हम नहर खुद तो बना नहीं सकते । नहर का निर्माण कोई–न–कोई एजेंसी ही करेगी और कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर का केस नहर का निर्माण न करने वाले के खिलाफ डलेगा । अभी यह तय नहीं है कि उसका निर्माण कौन–सी एजेंसी करने वाली है । एक बार तो यह फैसला हुआ था कि नहर का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से करवाया जाएगा । उसके बाद वर्ष 2003 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि नहर का निर्माण सी.पी.डब्ल्यू.डी. करेगी । अब वह सारा समय बीत चुका है । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह फैसला कांस्टीच्यूशनल बैंच का है । यह फैसला किसी एक जज का नहीं बल्कि पूरी बैंच का है । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, कांस्टीच्यूशनल बैंच का फैसला पानी के हक के बारे में है । वर्ष 2003 में सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला तो वैसे ही infructuous हो गया । हमने उस फैसले के infructuous होने की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट में नया केस डाला है कि हम किसी तरह से एग्जीक्यूशन का ऑर्डर ले पाएं । इस मामले में 41 बार अलग–अलग स्थानों पर प्रयास किये गये हैं । हम सुप्रीम कोर्ट में गये, प्रैजीडैंट के पास गए, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मिले, गवर्नमैंट ऑफ पंजाब और गवर्नमैंट ऑफ हरियाणा के सैक्रेटरीज की एक कमेटी बनी एवं उनकी मीटिंग्ज हुई । अंततोगत्वा हमें लगता है कि यह फैसला सरकार के लैवल पर भी नहीं हो सकता और यह फैसला मुख्यमंत्रियों के मिलने से भी नहीं हो सकता । हमें तो अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट से इसके एग्जीक्यूशन का एक ऑर्डर लेना ही होगा । हम इस ऑर्डर के लिए प्रयास करेंगे और कार्य को पूर्ण करवायेंगे ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम इस विषय पर राष्ट्रपति जी से भी मिले थे और फिर केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से भी मिले थे । जब हम केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मिले थे तो उस दिन केन्द्र के एडवोकेट्स भी आये हुए थे और हम अपने साथ हरियाणा के एडवोकेट्स भी लेकर गये हुए थे । उस वक्त जब हमने अपनी सारी बात रखी थी तो यह कहा गया था कि सैंटर गवर्नमैंट की तरफ से जो ऐडवाकेट्स आये हुए हैं उनसे पूछ लिया जाए कि क्या इसमें कोई अड़चन है । जब केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने उनसे यह बात पूछी तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है । अतः अब तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फैसला करना है कि हमने इस नहर का

निर्माण कब शुरू करना है । यह चीज तो बाद में तब आई है जब हमने इसे डिले कर दिया । उस वक्त अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर उस नहर के निर्माण कार्य को शुरू करवा देते तो आज यह विवाद होना ही नहीं था । उस दिन जब यह बात उठी थी तो यह बात बाकायदा मानी गई थी । यह बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी मानी थी और केन्द्र सरकार ने भी मानी थी ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि एस.वाई.एल. नहर के निर्माण का कार्य हम कस्सी लेकर स्वयं कर लेंगे तो यह सिर्फ एक पॉलीटिकल मूव साबित होगा । हमको इस तरह का कोई प्रचार नहीं चाहिए बल्कि हमको तो एस.वाई.एल. नहर का निर्माण कार्य करवाना है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप हरियाणा से कुछ सीनियर वकील लेकर चलिए और हम भी आपके साथ चलेंगे । मेरा विचार यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपनी फाइनलिटी ले चुका है । अतः अब एग्जीक्यूशन ऑर्डर लेने की कोई जरूरत नहीं है । अब तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमैंटेशन की जरूरत है ।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को एडवोकेट ऑन रिकार्ड के बारे में बता रहा हूं। Shri Anish Gupta, Advocate on Record submitted a letter on dated 12.10.2018 in registry for early listing of the case. जो हमने वर्ष 2016 में एग्जीक्यूशन के लिए लगाया था और उसकी अरली हियरिंग है। लेकिन माननीय कोर्ट ने लॉस्ट टाइम पर यही कहा था कि इसमें दोनों राज्यों की सरकारें आपस में मीटिंग करके कुछ कर सकती हैं या नहीं। हम एक लैटर लिखने वाले हैं that there is no scope कि हम आपस में बैठकर कुछ कर पाये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारा यही स्टैंड होना चाहिए कि आपस में बैठने का कोई फायदा नहीं है। चूंकि हमारी आलरेडी मीटिंग हो चुकी है और हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे। इसमें हमारा यही स्टैंड होना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसले को इम्पलीमैंट करवाए। यह बहस का मुद्दा नहीं है। इस मामले में सरकार को एक्सपर्ट एडवोकेट्स की सलाह लेनी चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हम यही स्टैण्ड लेंगे कि there is no scope of sitting together.

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रखने के लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा और केवल 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सन् 2002 में हरियाणा स्टेट के फेवर में जब मैनडेटरी इन्जैंक्शन की डिक्री अलॉट हुई और उसमें जो डॉयरेक्शंज दी गयी थी, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। उसमें यही डायरेक्शन थी कि सैंट्रल गवर्नमैंट एस.वाई.एल. नहर को कम्पलीट करवाए। It is the direction of the Supreme Court.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी अपना विचार बता दिया है कि इसमें हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी सलाह कर लें।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अतिरिक्त एक विषय और क्लीयर करना चाहूंगा जोकि बी.बी.एम.बी. से संबंधित है। यह विषय माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी ने उठाया था। इस संबंध में हरियाणा सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार को 3 पत्र लिखे गये थे और अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उन सभी पत्रों की कॉपी भी दे सकता हूं। इस विषय पर पहला पत्र दिनांक 19.4.2021 को लिखा था। इसमें प्यूनिटिव पैरा में लिखा हुआ है कि–

> "Hence, keeping in view the importance and gravity of the situation and looming water scarcity in coming months, I would request you to intervene in the matter and appoint Member, Irrigation from Haryana at the earliest, so that, with increased focus on development, regulation & management of water resources, the drinking and irrigation water requirements of partner states can be addressed in an effective manner."

दूसरा लैटर दिनांक 22.9.2021 को लिखा गया था और यह लैटर 5 महीने के बाद लिखा गया था। तीसरा लैटर दिनांक 1.3.2022 को फैसला होने के बाद अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए लिखा था कि यह आपने ठीक नहीं किया और उसमें पुरानी व्यवस्था ही रहनी चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस विषय पर हमें भी उनके साथ मिलवा दें।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय पर उनसे मिल लूंगा और माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी साथ ले जाएंगे।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टैंट इशू पर अपनी बात रखना चाहता हूं, इसलिए मुझे अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इसमें क्या झगड़ा है ? इसमें झगड़ा यह है कि जब बी.बी.एम.बी. बना था उस समय केन्द्र सरकार में सिंचाई विभाग और पॉवर विभाग एक ही था, लेकिन उसके बाद दोनों अलग– अलग डिपार्टमैंट बना दिये। अब यह बी.बी.एम.बी. पॉवर डिपार्टमैंट के अंडर आ गया है, लेकिन यह सिंचाई विभाग के अंडर हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में हमारी तरफ से जो लॉस्ट में लैटर लिखा गया था, उसमें यही बात थी कि बी.बी.एम.बी. को पॉवर डिपार्टमैंट की बजाए सिंचाई विभाग के अंडर करना चाहिए। हरियाणा सरकार ने अपनी ओर से बता दिया था कि बी.बी.एम.बी. पॉवर डिपार्टमैंट की बजाए सिंचाई विभाग में आ जाएगा तभी समस्या का हल होगा।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टैंट इशू पर अपनी बात रखना चाहता हूं, इसलिए मुझे अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, सभी माननीय सदस्य इम्पोर्टैंट इशू पर ही अपनी बात रखते हैं। प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पंजाब स्टेट पाकिस्तान देश के साथ लगते बॉर्डर वाला स्टेट है और यह मामला इम्पोर्टैंट है। मैं इसी पर अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बी.बी.एम.बी. के बारे में अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, शायद, आपके ध्यान में नहीं होगा। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर रिप्लाई दे दिया है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाऊस से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करके एक दिशा में काम करेंगे तो उसका एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। बहुत– बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

"कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा–3 के प्रावधानों के तहत अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम में पंजाब और हरियाणा राज्यों, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ के केन्द्रीय शासित प्रदेशों द्वारा पंजाब के पुनर्गठन को प्रभावी बनाने के लिए कई उपाय किए गए थे।

सतलुज–यमुना लिंक नहर (एस.वाई.एल.) के निर्माण द्वारा रावी और ब्यास नदियों के पानी में हिस्सा पाने का हरियाणा का अधिकार ऐतिहासिक, कानूनी, न्यायिक और संवैधानिक रूप से बहुत समय से स्थापित है। इस प्रतिष्ठित सदन में एस.वाई.एल. नहर को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह करते हुए सर्वसम्मति से कम से कम सात बार प्रस्ताव पारित किए हैं। कई अनुबंधों, समझौतों, ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों और देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में, सभी ने पानी पर हरियाणा के दावे को बरकरार रखा है और एस.वाई.एल. नहर को पूरा करने का निर्देश दिया है। इन निर्देशों और समझौतों की अवज्ञा करते हुए इनके विरोध में, हरियाणा राज्य के सही दावों को अस्वीकार करने के लिए पंजाब द्वारा कानून बनाए गए।

इंदिरा गांधी समझौता, राजीव लोंगोवाल समझौता और वेंकटरमैया आयोग ने पंजाब राज्य के क्षेत्र में पड़ने वाले हिंदी भाषी क्षेत्रों पर हरियाणा के दावे को स्वीकार किया है। हिंदी भाषी गांवों को पंजाब से हरियाणा को देने का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। यह सदन 1 अप्रैल, 2022 को पंजाब की विधान सभा में पारित प्रस्ताव पर गहन चिंता प्रकट करता है, जिसमें सिफारिश की गई है कि चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित करने के मामले को केन्द्र सरकार के साथ उठाया जाए। यह हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा में राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ पर अपना अधिकार लगातार बरकरार रखा है इसके अलावा इस सदन ने इससे पहले भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य के एक अलग उच्च न्यायालय के लिए प्रस्ताव पारित किया है।

केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में भाखड़ा–ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की भावना के खिलाफ है, जो नदी योजनाओं को, उत्तराधिकारी पंजाब व हरियाणा राज्यों की साझा संपत्ति मानता है।

सदन इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि पिछले कुछ वर्षों से केन्द्र शासित प्रदेश (यू.टी.) चंडीगढ़ के प्रशासन में हरियाणा सरकार से प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की हिस्सेदारी कम हो रही है।

इन परिस्थितियों में, यह सदन केन्द्र सरकार से आग्रह करता है कि वह ऐसा कोई कदम न उठाए, जिससे मौजूदा संतुलन बिगड़ जाए और जब तक पंजाब के पुनर्गठन से उत्पन्न सभी मुद्दों का समाधान न हो जाए, तब तक सद्भाव बना रहे। यह सदन केन्द्र सरकार से यह आग्रह भी करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सतलुज–यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए उचित उपाय करे। यह सदन केन्द्र सरकार से आग्रह करता है कि वह पंजाब सरकार पर दबाव बनाये कि वह अपना मामला वापिस ले और हरियाणा राज्य को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी ले जाने और उसके समान वितरण के लिए हांसी–बुटाना नहर की अनुमति दे। सदन केन्द्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह करता है कि केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन में सेवा करने के लिए हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए निर्धारित अनुपात को उसी अनुपात में जारी रखा जाये, जब पंजाब के पुनर्गठन की परिकल्पना की गई थी।"

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब यह सदन अनिश्चित काल के लिए *स्थगित किया जाता है। धन्यवाद।

(तत्पश्चात् सभा अनिश्चितकाल के लिए* स्थगित हुई।)

***14:28**

———————